



कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.05.14 की
स्थगित बैठक जो दिनांक 06.06.14 को सम्पन्न हुई,

का कार्यवृत्त

मध्याह्न 12.00 बजे

स्थान: नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर



कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या: डी/ ५०/ सचिव (न.नि.)/ 14-15
सेवामें

दिनांक : - १८-०६-२०१४

मा० श्री/ श्रीमती/

पार्षद वार्ड सं...../ सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/ महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.05.2014 की स्थगित बैठक, जो दिनांक 06.06.2014 को मध्यान्ह 12.00 बजे सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 64 तक।

(राम बली पाल)

सचिव

नगर निगम, कानपुर

प्रतिलिपि:

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त प्रथम / द्वितीय महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव

नगर निगम, कानपुर

दिनांक—30.05.2014 दिन शुक्रवार को स्थगित बैठक, जो दिनांक—06.06.2014 को मध्यान्ह 12:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्वोण	महापौर/सभापति	3.	डा० पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद/उप सभापति	4.	श्री तरुण कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता "सिविल"
3.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद/सदस्य	5.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता "विठ०/यॉ०"
4.	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद/सदस्य	6.	श्री राजीव बाजपेई	महाप्रबन्धक, जलकल
5.	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य			
6.	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद/सदस्य			
7.	श्री कमलेश	पार्षद/सदस्य			
8.	श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य			
9.	श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य			
10.	श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य			
11.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद/सदस्य			

अधिकारीगण

1.	श्री आर.एन.बाजपेई	नगर आयुक्त
2.	श्री डी. के. गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री मदन लाल ने सभापति से कहा कि कृपया नगर आयुक्त महोदय से आश्वस्त हो लिया जाये कि दिनांक—30.05.2014 की तरह बैठक बीच में छोड़कर तो नहीं जायेंगे।

सभापति महोदय ने कहा कि नगर आयुक्त महोदय से इसके सम्बन्ध में पूर्व में ही विचार—विमर्श कर लिया गया है। इसके साथ ही समिति के सदस्यों से कहा कि पूर्व निर्गत कार्यसूची के अवशेष बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है, कृपया तदनुसार सभी सदस्य अपना—अपना मंतव्य व्यक्त करें।

प्रस्ताव संख्या—290

श्री आशुतोष त्रिपाठी, मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

विषय:— चौराहे एवं सड़को के नाम शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम पर रखे जाने के संदर्भ में।

सदन में निर्णय लिया गया कि चौराहो एवं सड़को का नाम शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम रखा जायेगा। अतः आपसे निवेदन है कि “ब्रह्म नगर चौराहे” का नाम बदल कर “शहीद चन्द्रशेषर आजाद” के नाम पर रख जाये।

इस शहीद की कार्य स्थली कानपुर नगर में अधिक रही। अतः लोगों को प्रेरणा का कार्य करेगा एवं सच्ची होगी। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

सभापति ने कहा कि हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूर्व से ही जहाँ तक मेरे संज्ञान में है इस क्षेत्र को तत्कालिक ब्राह्मण समाज ने बसाया था। अतः क्या नामकरण बदलना उचित होगा? इस पर सभी सदस्यों ने कहा कि यह उचित प्रतीत नहीं होता है।

..... अस्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या—291

श्री आशुतोष त्रिपाठी, मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

विषय:— चौराहे एवं सड़को के नाम शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम पर रखे जाने के संदर्भ में।

सदन में निर्णय लिया गया कि चौराहो एवं सड़को का नाम शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम रखा जायेगा। अतः आपसे निवेदन है कि पांच नम्बर गुमटी चौराहे का नाम “शहीद भगत सिंह चौराहा” रखा जाये।

इतिहास में इस शहीद की कुर्बानी एवं साहस के कारण यह शहर एवं देश का हर नागरिक इनका ऋणी रहेगा सदैव। यह हमारे समाज की हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

सभापति ने कहा कि पूर्व से ही गुरु गोविन्द सिंह चौक नाम और इसी से आगे जाने वाली सड़क पर सर्वधर्म चौक नामकरण किया जा चुका है, अतएव इस पर भी आप सभी विचार करना चाहें।

..... अस्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या—292

श्री आशुतोष त्रिपाठी, मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- बकरमण्डी चौराहे का नाम “ गणेश शंकर विद्यार्थी जी” एवं “ हजरत मुहानी जी” के नाम रखने के सन्दर्भ में।

सदन में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि चौराहो एवं सड़को का नाम शहीदो एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम रखा जायेगा। अतः आपसे निवेदन है कि बकरमण्डी चौराहे का नाम बदलकर “ गणेश शंकर विद्यार्थी जी एवं ” हजरत मुहानी जी” के नाम का नाम रख दिया जाये।

इस शहर का नाम गंगा—यमुनी संस्कृति के नाम से जाना जाता था और ये दोनो इसके पुरोधा थे। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

.....सभापति ने कहा कि प्रताप शताब्दी वर्ष मनाये जाने पर सभी संभ्रांत जनों से यह मंतब्य संज्ञान में आया था कि उनकी शक्षियत के दृष्टिगत ही मार्ग का नामकरण या मूर्ति की स्थापना पर विचार होना चाहिये, अतएव हजरत मुहानी जी के नामकरण के सम्बन्ध में श्री सुहेल अहमद के दूसरे प्रस्ताव से जोड़कर इस पर निर्णय किया जाये।

प्रस्ताव संख्या—293

श्री आशुतोष त्रिपाठी, मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- सदन में चर्चा के दौरान अवगत करावाया गया था कि चौराहो एवं सड़को के नाम शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम पर रखे जायेंगे अतः उपरोक्त सन्दर्भ हेतु।

सदन में निर्णय लिया गया कि चौराहो एवं सड़को का नाम शहीदो एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के नाम रखा जायेगा। अतः आपसे निवेदन है कि बजरिया चौराहे का नाम “ अमर शहीद पूर्व ए०डी०ए०३० स्व० सी०पी०पाठक जी ” के नाम रख दिया जाये।

इन अमर शहीद ने इस शहर को साम्प्रदायिकता से बचाने के लिये पूर्व में कई सफल प्रयास किये एवं अदम्य साहस का परिचय दिया और अन्त में अपने प्राण इस देश पर समर्पित कर दिया।

अतः इसे बदलकर लोगो को प्रेरणा देने का कार्य करे। पूर्व में इनका निवास पी० रोड में ही था। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

श्री अभिषेक गुप्ता “मोनू” ने सभापति से अनुरोध किया कि या तो उनके निवास स्थान वाली सड़क अथवा घटना स्थल वाले मार्ग का नामकरण उनके नाम से किया जाना उचित होगा।

सभापति ने कहा कि पूर्व में भी नामकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि 03 सदस्यी समिति नामकरण वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी, कि नामकरण किये जाने वाले व्यक्ति का देश, समाज अथवा राजनीति के क्षेत्र में उसका क्या योगदान रहा है, तदनुरूप ही नामकरण वाले प्रस्ताव भविष्य में कार्यकारिणी के समक्ष रखे जाये।

..... अगली किसी कार्यकारिणी समिति की आहूत बैठक में पूर्व ए०डी०ए०० स्व० सी०पी०पाठक जी के व्यक्तित्व के अनुसार नामकरण हेतु शहर के किसी मार्ग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या—294

श्री अतुल त्रिपाठी, मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

इस पत्र द्वारा विनप्रतापूर्वक आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव रखते हुये अवगत करा रहा हूँ कि कानपुर महानगर में मांगलिक कार्यक्रम होने पर आम जनमानस किन्नरों से बेहद परेशान एवं आतंकित रहता है। किन्नर शादी—विवाह, जनेऊ बच्चे के जन्म लेने पर, तीज—त्योहारों पर संगठित होकर उत्सव स्थल पर दबाब डालते हैं। न देने पर लझाई—झगड़े पर आमादा होकर संभ्रात नागरिकों को बेइज्जत करने पर कोई संकोच नहीं करते हैं।

मेरा विनप्र निवेदन है कि किन्नरों पर लगाम कसने के लिये कोई नीति बनाई जाये, इनका शुल्क तय किया जाये और उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 (उ०प्र० अधिनियम सं० 2 सन् 1959) की धारा —444 एवं 448 के तहत इन्हें नियंत्रित किया जाये। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

सभापति ने कहा यह अत्यन्त गम्भीर विषय है चूंकि प्राकृतिक जन्म लिंग विषमता से जुड़ा हुआ है तथा इनका एक अलग समाज भी है, जिस पर उनके मुखिया द्वारा ही निर्णय लिये जाते हैं। अतः इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना बर्द के छत्ते में हाथ डालने के समान होगा। यह भी ध्यान में रखा जाये कि जब अतिक्रमण हटाने के लिये जिला प्रशासन पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराता है तो कार्यकारिणी समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय पर किस प्रकार अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।

..... अगली किसी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या—295

श्री आशुतोष त्रिपाठी, मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

व्यक्ति चाहे जिस मजहब को मानता हो परन्तु धार्मिक भावनाओं और सांस्कृति धरोहरों को बचाये रखना चाहता है।

आज हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी धर्मों के भगवान धर्म गुरु आदि के प्रतीक चिन्हों को हम सब लोग जाने अनजाने गलत प्रयोग कर रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को कही न कही ठेस पहुँचा रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों जैसे – मिठाई के डिब्बों में, कार्डों में, खानों के सामानों में हम फोटो और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के उपरान्त सङ्क और नाली में फेंक देते हैं और वह हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं जिसके कारण धार्मिक भावनाओं का निरादर होता है और परम शक्ति का अपमान भी होता है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम कानपुर नगर निगम से इस प्रकार के कृत्यों का विरोध होना शुरू हो और इसे कार्यकारिणी और सदन से पास करवाकर इस अपमान को रोकने का मार्ग प्रस्तुत करें। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रेषित**।

सभापति ने कहा कि सर्वसमाज की मनोदशा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है, इस पर विशेष अभियान चलाकर जब जन जागरूकता पैदा की जाये तत्पश्चात् ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाना समीचीन होगा।

..... स्थगित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—296

श्री सर्वेश कुमार 'सुयश', महासचिव, कानपुर सांस्कृतिक निधि, 359, मिनी एम०आई०जी०० डबल स्टोरी, हेमन्त विहार, बरा-२

द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय: नगर निगम द्वारा मौलाना हसरत मोहानी की प्रतिमा लगवाने के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि कानपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने विद्यार्थी जी के साथ कानपुर में जंगे आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। जाल भी कानपुर में राजनीतिज्ञों द्वारा अमनचैन की दुहायी देते वक्त विद्यार्थी जी के साथ मौलाना हसरत मोहानी का नाम आदर से लिया जाता है। लेकिन दुख का विषय है कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में आजादी के 66 साल बाद भी कानपुर में कोई स्मृति चिन्ह नहीं स्थापित है जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में इनकी गजलें कोर्स में पढ़ायी जा रही हैं और वहाँ इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। वहाँ इनकी स्मृति में विशाल लायब्रेरी भी स्थापित है।

अतः आपसे आग्रह है कि आप नगर निगम द्वारा मौलाना हसरत मोहानी की स्मृति में उनकी आवक्ष प्रतिमा फूलबाग में स्थापित करने की पहल करें ताकि कानपुर के अल्पसंख्यक समुदाय में सर्वधर्म संस्कृति का संदेश नगर निगम द्वारा पहुंचाया जा सके। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रेषित**।

..... मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा लगाना प्रतिबन्धित है, अतएव निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या—297

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), मा० उपसभापति / पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

निवेदन है कि वार्ड 09 विष्णुपुरी में सन् 2005 में स्व० श्रीमती सुधा सिंह पार्षद थी। जिनका बीमारी के चलते नवम्बर, 2013 में निधन हो गया है। श्रीमती सुधा सिंह मृदु भाषी थी। इनका कानपुर महानगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि श्रीमती सुधा सिंह के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्व0 सुधा सिंह के नाम से ” विष्णुपुरी चौराहे से गंगा बैराज” जाने वाले मार्ग का नामकरण सुधा सिंह मार्ग करने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।
..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—298

श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:-सामुदायिक केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में।

वार्ड 13 खलासी लाइन में 101 / 229 की खाली पड़ी भूमि नगर निगम की सम्पत्ति है जिसपर गरीब जनता यदा कदा अपने छोटे छोटे कार्यों को कर लिया करती है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप उक्त स्थान पर हॉल बनवा दें तो आपकी महान दया होगी चूंकि जगह बहुत कम है इसलिये दो खण्ड का हॉल बनवाने की कृपा करें। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप क्षेत्रीय जनता की मजबूरी को समझते हुये जनहित में दो खण्ड का हॉल अवश्य ही बनायें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।
..... स्थलीय निरीक्षण कर आख्या के साथ अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या—299

श्री अभिषेक गुप्ता (मोनू) पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

निवेदन है कि स्व0 काशी प्रसाद गुप्ता जी एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिये आन्दोलनों में हिस्सा लियावह गिलिस बाजार स्थित 38 / 122 पुरविया मोहाल में रहते हुये देश के प्रति उनके कार्यको ध्यान रखते हुये उनके नाम पर 38 / 200 में गिलिस बाजार रोड है उनके नाम पर करने की स्वीकृति प्रदान करें।

उनको सरकार द्वारा दी जा रही पेन्शन व कुछ प्रति साथ में संलग्न है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।
..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—300

श्री सुशील तिवारी मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम सदन के पूर्व सदस्य पार्षद पंकज गुप्ता वार्ड –85 का देहान्त 29.04.2013 का हो गया है। जिनकी श्रद्धांजलि सभा दिनांक 05.05.2013 को हालसी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के निकट सम्पन्न हुई थी। उक्त सभा में कानपुर नगर के पूर्व एवं वर्तमान पार्षद मा0 विधायक एवं मा0 लोक सभा सदस्य उपस्थिति हुये थे। उक्त सभा में सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद स्व0 पंकज गुप्ता जी द्वारा कानपुर नगर के समीप वार्ड –85 स्थित गड़रिया पार्क का नामकरण स्व0 पार्षद पंकज गुप्ता के नाम से (पंकज पार्क) किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम सदन के पूर्व सदस्य स्व0 पंकज गुप्ता के निवास के समीप स्थित गड़रिया पार्क का नामकरण पूर्व पार्षद पंकज गुप्ता के नाम पर (पंकज पार्क) किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष किये जाने हेतु प्रेषित है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रेषित**।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—301

श्री विनय अग्रवाल, मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-
विषय:- वार्ड नं0 64 स्वराज्य नपगर पनकी जोन-5 में बड़ी बड़ी सड़के के नामकरण के सम्बन्ध में।

मुख्य सड़कों का विवरण एवं नामकरण।

1. एम0आई0जी0 पनकी सब्जी मण्डी से— स्वामी विवेकानन्द मार्ग।
2. कालपी रोड नहर पुल से पनकी पावर हाउस— छठ पूजा मार्ग।
3. भाटिया होटल तिराहे से पनकी मन्दिर तक— पनकी दरबार धाम मार्ग।

उपरोक्त वर्णित मार्गों के नाम आम जनता द्वारा प्रसन्नता पूर्वक मान्य है, अतः नियमों के अनुसार इन तीनों बड़े मार्गों पर कानपुर नगर निगम द्वारा बड़े साइन बोर्ड लगवाकर प्रचार-प्रसार करवाने की कृपा करे। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रेषित**।

..... क्रमांक—1 पर अंकित के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त की जाये कि इस मार्ग का कोई नामकरण पूर्व से तो नहीं है तथा क्रमांक—2 क्रमांक—3 स्वीकृत किये गये।

प्रस्ताव संख्या—302

श्री आलोक दुबे (पार्षद) एवं 02 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- कानपुर नगर के आदर्श पार्कों में एक प्रमुख पार्क कमला नेहरू पार्क के गेटों का निर्माण कराके उनके नामरकण के संदर्भ में।

अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में क्षेत्रीय नागरिक आते हैं क्योंकि यह पार्क सुव्यवस्थित एवं हरियाली से युक्त है। जो हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारीगणों के अथक प्रयास का नतीजा है। परन्तु वर्षों पुराने होने के कारण इसके गेट क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गये हैं जिससे प्रतिदिन आवारा जानवर तथा अराजकततत्व पार्क की सुन्दरता को नुकसान पहुँचाते हैं। अतः गेटों का निर्माण कराके इनका नामकरण जनहित में किया जाना आवश्यक है।

1. जवाहर नगर के गुरुद्वारे के सामने वाले गेट का नाम “ वाहे गुरु द्वार ”
2. बालाजी चौराहे के पास वाले गेट का नाम “ श्री बालाजी द्वार ”
3. रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले गेट का नाम “ स्वामी विवेकानन्द द्वार ”

मा० कार्यकारिणी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया यजाये तो यह कार्य जनहित में होगा जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को आवारा जानवारों एवं अराजकतत्वों से निजात मिल जायेगी एवं उद्यान (पार्क) भी सुव्यवस्थित एवं हरियालीयुक्त बना रहेगा तथा नागरिकों द्वारा भगवान एवं महापुरुषों के नाम का उच्चरण यथावत् रहेगा। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

..... नामकरण हेतु स्वीकृत प्रदान की गई तथा निर्माण कार्यवाही हेतु श्री आलोक दुबे कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

प्रस्ताव संख्या—303

श्री आलोक दुबे (पार्षद) एवं ०९ पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- कानपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत गाड़ियों की सफाई हेतु चलने वाले सर्विस स्टेशनों से पानी (भूगर्भ जल) का दोहन तथा उसे खराब हाने वाली सड़कें तथा सड़क पर चलने वाले नागरिकों को पड़ने वाले पानी से भारी दिक्कत।

आपको अवगत कराना चाहते हैं कि शहर में बहुत से निजी सर्विस स्टेशन अवैध रूप से चल रहे हैं जिनके आस पास रहने वाले लोगों को जल दोहन से पीने योग्य पानी के लिये भारी दिक्कत होती है ये लोग सुबह से शाम तक लाखों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ में नालियों में बहा देते हैं तथा सड़कों पर फैलने वाले पानी से हमारी नई सड़कें भी टूट जाती हैं तथा सड़कों पर भारी अतिक्रमण भी रहता है और सड़कों पर जो भी नागरिक पैदल तथा दो पहिया वाहनों से निकलते हैं उन पर पानी पड़ने से उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं एवं यातायात भी वाधित होता है तथा भारी दुर्घटना भी हो जाती है।

अतः जनहित में यथाशीघ्र इस पर रोक लगायी जाये अथवा इनसे पानी का कामर्शीयल मीटर लगाकर कामर्शीयल पैसा लिया जाय ताकि नगर निगम की आय हो तथा पानी व्यर्थ न जाये। महोदय से जनहित में शीघ्रतम् कार्यवाही अपेक्षित है। प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक जलकल ने कहा कि सड़क पर जो बोरिंग करा ली जाती है, उन पर रोक लगाई जाये। घर और दुकान के अन्दर बोरिंग पर रोक लगाया जाना भूगर्भ विभाग की जिम्मेदारी है।

सभापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश के तहत अत्यन्त भूगर्भ दोहन के लिये प्रतिबन्धित किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में नगर निगम द्वारा अपनी सड़कों की सुरक्षा—संरक्षा के लिये सड़कों व फुटपाथ पर बोरिंग कराये जाने को प्रतिबन्धित किया जाये। चूंकि पानी से तारकोल की सड़क खराब होती है और सबमर्सिबल पम्प की मोटी धार गिरने से सड़क शीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाती है, अतः क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से इस पर दण्ड प्राविधानित कर रोक लगाई जाये, अन्यथा जिस प्रकार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि अमुक स्थान पर धरती फट गई और उससे जन धन की हानि होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी सम्भावना प्रबलतम् प्रतीत होगी।

..... क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक प्राप्त शिकायत पर स्थलीय निरीक्षण करते हुये दण्ड प्राविधानित करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या—304

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/1293/न.आ./पर्यांत्रिम./13-14 दिनांक 06.12.13 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

कानपुर नगर में आयोजित होने वाली शादी—विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शौचक्रिया एवं स्वच्छता को दृष्टिगत् करते हुए कानपुर नगर निगम द्वारा 3 मोबाईल टॉयलेट (4सीटेड एवं 2सीटेड) का क्रय किया गया है। उक्त टॉयलेटों को सामाजिक कार्यक्रमों में तथा शादी विवाह में उपयोग किये जाने हेतु किराये पर दिये जाने से सफाई कार्यक्रमों में सहयोग मिलने के साथ ही इनका समुचित उपयोग भी हो सकेगा। इस हेतु उपरोक्त टॉयलेटों का किराया निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता हैः—

1. 4 सीटेट मोबाईल टॉयलेट ` 3000.00 प्रतिदिन
2. 2 सीटेड मोबाईल टॉयलेट ` 1500.00 प्रतिदिन

उपरोक्त तीनों टॉयलेटों के रखरखाव, सफाई व्यवस्था हेतु एक—एक कर्मचारी आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जाना है। इन तीनों कर्मचारियों का वेतन मोबाईल टॉयलेट को किराये पर दिये जाने से होने वाली आय से दिया जायेगा। उक्त सफाई कर्मियों का यह दायितव होगा कि वह इनकी पूर्ण सफाई के साथ इनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखेंगे। टॉयलेटों की सफाई हेतु सफाई कर्मियों को बाल्टी, मग, ब्रुश एवं फिनालय आदि नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। रिक्त दिवसों में मोतीझील स्थित लॉन की सफाई का कार्य भी सफाई कर्मियों से लिया जायेगा। मोबाईल टॉयलेट की बुकिंग का कार्य लॉन आदि की बुकिंग के साथ ही सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जायेगा। जिसकी स्वीकृति हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

..... 04 सीटेड मोबाईल ट्वायलट रु0 2000/-, 02 सीटेड मोबाईल ट्वायलट रु0 1000/- तथा धार्मिक एवं सार्वजनिक हित वाले कार्यक्रमों हेतु आधी दरों में उपलब्ध कराये जाने के लिये स्वीकृत प्रदान की गई।

अभियंत्रण खण्ड जोन-2 मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

प्र०सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
305	जोन-2 वार्ड 37 के अन्तर्गत परदेवनपुरवा में बाबूलाल का हाता विधायक निवास के पास सुरेन्द्र के मकान तक डी-88 से सुशील के मकान तक व देवी पाल के मकान से श्रवण के मकान तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,98,568.00	9,68,610.96	आगणन दर से 3.00 प्रति. निम्न	मे० कैला देवी कान्स०	पढ़ा गया
306	जोन-2 वार्ड 77 ई ब्लाक में भवन सं० ई/256 से ई/264 तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	5,83,580.00	5,60,236.80	आगणन दर से 4.00 प्रति. निम्न	मे० कैला देवी कान्स०	पढ़ा गया

307	जोन-2 वार्ड 77 ई ब्लाक में भवन सं0 ई/217 से ई/222 एवं ई/206 पार्क तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,55,772.00	8,30,098.84	आगणन दर से 3.00 प्रति. निम्न	मे0 कैला देवी कान्स0	पढ़ा गया
308	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत गौशाला में गुरुहर राय स्कूल से नेशनल हाईवे के पास शंकर के मकान तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,49,865.00	6,30,369.05	आगणन दर से 3.00 प्रति. निम्न	मे0 कैला देवी कान्स0	पढ़ा गया
309	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत कौडी0ए0 कालोनी में अल्लाह हो अकबर मस्जिद के पीछे सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,61,602.00	9,42,369.96	आगणन दर से 2.00 प्रतिशत निम्न	मे0 कैला देवी कान्स0	पढ़ा गया
310	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत नेताजी नगर दुर्गा वस्त्रालय से अशोक यादव के मकान तक इंटरलाकिंग का कार्य।	नगर निगम निधि	5,96,123.00	5,30,549.47	आगणन दर से 11.00 प्रतिशत निम्न	मे0 आर्यावृत्त ट्रेडिंग कम्पनी	पढ़ा गया
311	जोन-2 वार्ड 77 के अन्तर्गत मुंशी भाई फरहान टेलीकाम से इकबाल के मकान व हाजी अख्तर के मकान तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	6,73,660.00	6,70,912.57	आगणन दर से 0.40 प्रतिशत निम्न	मे0 गणेश एण्ड कम्पनी	पढ़ा गया
312	जोन-2 वार्ड 86 जाजमऊ उत्तरी में तेल मिल चौराहा गज्जपुरवा में कूड़ा निस्तारण स्थान का आर0सी0सी0 प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	5,24,226.00	5,16,991.69	आगणन दर से 1.38 प्रतिशत निम्न	मे0 निशी इंटरप्राइजेज	पढ़ा गया
313	जोन-2 वार्ड 86 के अन्तर्गत लखनऊ कानपुर हाईवे से मदरसा रोड तक तथा बैंक होते हुए एकलाक अहमद के मकान तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,88,098.00	8,27,433.26	आगणन दर से 16.26 प्रतिशत निम्न	मे0 दिलीप कुमार बाजपेयी	पढ़ा गया
314	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत पी0ए0सी0 मोड से श्याम नगर ओवर ब्रिज तक रोड की साईड पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	नगर निगम निधि	9,25,838.00	7,61,501.76	आगणन दर से 17.75 प्रतिशत निम्न	मे0 सुभद्रा स्तुति कान्स0	पढ़ा गया
315	जोन-2 वार्ड 95 के अन्तर्गत सुजातगंज दूबर होटल से रामचन्द्र एवं समीर के मकान से मकान नं0 242 तक इंटरलाकिंग का कार्य।	नगर निगम निधि	7,15,691.00	6,44,121.90	आगणन दर से 10.00 प्रतिशत निम्न	मे0 आर0के0 द्विवेदी इंटरप्राइजेज	पढ़ा गया

316	जोन-2 के अन्तर्गत अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों पर दुर्गा पूजा, रामलीला, दशहरा पर्व पर वार्ड सं0 28, 37, 44, 66, 70 की आन्तरिक सड़कों पर पैच मरम्मत हेतु एस.डी.सी. की आपूर्ति का कार्य।	नगर निगम निधि	9,57,875.00	10,93,031.16	आगणन दर से 14.11 प्रतिशत उच्च एवं जस्टीफाइड दर से 11.02 प्रतिशत निम्न	में0 कैला देवी कान्स०	पढ़ा गया
317	जोन-2 वार्ड 86 जाजमऊ उत्तरी के अन्तर्गत वी0 के.0डी चौराहा पर मुश्ताक अहमद के मकान से 671 साबिर हुसैन के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	नगर निगम निधि	9,60,841.00,	9,55,172.00	आगणन दर से 0.59 % निम्न	में0 अभयं मंगलम् कान्स०	पढ़ा गया
318	जोन-2 वार्ड 86 जाजमऊ उत्तरी के अन्तर्गत शीतल बाजार में 9-सी वशी अहमद के मकान से हसन जावेद के मकान तक 58/47 (पार्क लेदर) तक नाली एवं सडक का निर्माण काय।	नगर निगम निधि	5,52,077.00,	5,46,611.00	आगणन दर से 0.99 % निम्न	में0 अभयं मंगलम् कान्स०	पढ़ा गया
319	जोन-2 वार्ड 70 तिवारीपुर के अन्तर्गत वाजिदपुर में सिद्धादेवी मंदिर से मेन रोड (बीमा अस्पताल से पम्पिंग स्टेशन-3) तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	7,71,115.00,	7,68,185.00	आगणन दर से 0.38 % निम्न	में0 निशी झो प्रा0	पढ़ा गया
320	जोन-2 वार्ड 10 चकेरी के अन्तर्गत ग्राम रुमा में किशन लाल के मकान से गंगाविष्णु के मकान होते हुये राकेश गोस्वामी के मकान तक सडक व नाली का सुधार का कार्य।	नगर निगम निधि	9,84,052.00,	8,84,466.00	आगणन दर से 10. 12 % निम्न	में0 अवस्थी कान्स० कं0	पढ़ा गया
321	जोन-2 वार्ड 71 गँधीग्राम के अन्तर्गत श्री राम हाउस से भोलेश्वर मंदिर होते हुये आर0के0दुबे के मकान तक इंटरलॉकिंग द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,82,485.00,	8,55,744.00	आगणन दर से 12. 90 % निम्न	में0 कृष्णा बिल्डर्स	पढ़ा गया
322	जोन-2 वार्ड 86 जाजमऊ उत्तरी मोहल्ला सरैया में नेशनल हाइवे के पास कमर टेनरी से सरैया चौराहा तक सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,48,088.00,	7,47,165.53	आगणन दर से 11. 90 % निम्न	में0 क्षत्रिय कान्स०	पढ़ा गया
323	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत केडीए कालोनी में लक्ष्मी गेस्ट हाउस में मकान नं0 एम 5/12 एवं रोहित बत्रा में मकान से अक्तर आलम के मकान तक सडक का सुधार कार्य।	कोयला मंत्रालय	9,86,387.00	9,16,353.52	आगणन दर से 7.10 % निम्न	में0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	पढ़ा गया
324	जोन-2 वार्ड 71 गँधीग्राम के अन्तर्गत इन्द्रपुरी में मकान नं0 82/22 आर0के0शुक्ला के मकान से 82/21 ए हृदय लाल एवं मकान नं.0 82/11 सुरजभान राजपूत से मकान	नगर निगम निधि	8,96,836.00	8,09,072.00	आगणन दर से 9. 786 % निम्न	में0 ओम बिल्डर्स	पढ़ा गया

	नं० 82/21 एवं 82/01 तथा 82/08 तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य।						
325	जोन-2 वार्ड 29 सफीपुर के अन्तर्गत काली मंदिर के पास राजकुमार चौरसिया की गली एवं बद्धमदेव मंदिर होते हुये दिनेंश चौरसिया एवं प्रहलाद के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	9,65,894.00	8,69,401.00	आगणन दर से 9.99 % निम्न	में० ओम प्रकाश मंगलानी
326	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत राजीव नगर में अरुण कुमार मिश्रा के मकान से संजय शर्मा के मकान से एवं राजकुमार के मकान से टिल्लू जेवशन के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली का सड़क का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	8,84,217.00	7,78,120.00	आगणन दर से 11. 999 % निम्न	में० एन०एस०ट्रेडर्स
327	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत यादव दूध चौराहा से दीपू पाल के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	9,95,476.00	8,98,059.00	आगणन दर से 9. 786% निम्न	में० एन०एस०ट्रेडर्स
328	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत राजीव नगर चरारी स्थित श्रीमती मुन्नी देवी के मकान से प्रवीन के मकान होते हुये ज्याय वर्मा के मकान से श्री सुमीत एवं संदीप के मकान तक नाली का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	7,56,373.00	6,42,917.05	आगणन दर से 15 % निम्न	में० आर०के० द्विवेदी इ० प्रा०
329	जोन-2 वार्ड 30 के अन्तर्गत गंगापुर गाँव में अशोक तिवारी के मकान से गया प्रसाद शुक्ला के मकान होते हुये तालाब तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	11,05,648.00	9,76,287.00	आगणन दर से 11. 70 % निम्न	में० सर्वेश कुमार
330	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत सुजातगंज में ईदगाद की बाउन्ड्री के चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	12,92,250.00	9,12,029.00	आगणन दर से 16.5 % निम्न	में० आर० के० द्विवेदी
331	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत मकान नं० 128/917 वार्ड से 128/306 वार्ड ब्लाक किदर्वई नगर तक नाली का निर्माण कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	6,35,141.00	5,71,691.00	आगणन दर से 9.99 % निम्न	में० जी०एस० इ० प्रा०
332	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत यादव दूध चौराहा से दीपू पाल के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम निधि	9,95,476.00	8,98,059.00	आगणन दर से 9. 786% निम्न	में० एन०एस०ट्रेडर्स

मा० कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

प्र०सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
333	जोन-2 में वी०आई०पी० रोड से डी०टी०एस० स्कूल होते हुये जाजमज तक सड़क का सुधार कार्य।	कोयला मंत्रालय	19,17,825.00	19,17,825.00	आगणन दर पर	मै० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा० लिमि०	स्वीकृत
334	जोन-2 वार्ड 39 के अन्तर्गत सकरापुर गाँव मे वीरेन्द्र नट के मकान से लेकर रामसनेही व देवीदीन के घर से होते हुये अशरफी लाल के धर तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	नगर निगम निधि	14,99,86.700	13,49,880.00	आगणन दर से 10.00 % निम्न	मै० रामकिशोर	स्वीकृत
335	जोन-2 वार्ड 29 सफीपुर के अन्तर्गत चौरसिया पान कुटी गोवर्धन गुप्ता के मकान होते हुये धाऊखेडा तालाब तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	12,56,598.00	12,55,090.00	आगणन दर से 0.12 % निम्न	मै० अमिताभ उपकम	स्वीकृत
336	जोन-2 वार्ड 48 वाई ब्लाक किंदवई नगर में बालाजी धाम के सामने स्थित पार्क का जीर्णोद्धार।	कोयला मंत्रालय/नगर निगम निधि	12,58,251.00	11,32,552.00	आगणन दर से 9.99 % निम्न	मै० जी०.एस० इ० प्रा०	स्वीकृत
337	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत वाई वन-1 ब्लाक किंदवई नगर के स्थित महेश्वर पार्क का जीर्णोद्धार।	कोयला मंत्रालय/नगर निगम निधि	13,11,954.00	12,31,793.00	आगणन दर से 6.11 % निम्न	मै० मनीष कान्सं० कं०	स्वीकृत
338	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत वाई ब्लाक किंदवई नगर मे मकान नं० 128/1160 वाई से प्रदीप तिवारी के मकान व 128/294 वाई से 1289/274 तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं दोनों तरफ नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	13,80,835.00	12,05,786.00	आगणन दर से 12. 677 % निम्न	मै० गणेश नरायण अवस्थी	स्वीकृत
339	जोन-2 वार्ड 91 के अन्तर्गत यशोदा नगर मॉ सरस्वती इ० कालेज से नन्दू स्वीट हाउस तक नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	13,81,948.00	13,75,038.00	आगणन दर से 5.00 % निम्न	मै० सिकन्दर सप्लायर्स	स्वीकृत
340	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत नेताजी नगर राजा गुप्ता के मकान से 27 बी तक एवं कुम्हार मंडी के चारों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	12,32,218.00	11,33,641.00	आगणन दर से 8 % निम्न	मै० मैहर ट्रेडर्स	स्वीकृत
341	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत मकान 128/1089 वाई से मकान 128/732 वाई ब्लाक किंदवई नगर मैं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	12,18,225.00,	10,39,146.00	आगणन दर से 14.70 % निम्न	मै० दिलीप कुमार बाजपेई	स्वीकृत

342	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत आर०पी०सक्सेना के मकान से एच-1/ 50 तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	13,51,755.00,	12,30,097.00	आगणन दर से 9.00 % निम्न	में0 माँ मैहर ट्रेडर्स	स्वीकृत
-----	---	---------------	---------------	--------------	-------------------------	------------------------	---------

सूचनार्थ प्रस्ताव

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यों के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

प्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
343	जोन-3 के अन्तर्गतविभिन्न सड़कों पर पक्का पैच मरम्मत कार्य हेतु एस०डी०बी०सी० की आपूर्ति का कार्य।	5(3)B1	962000.00	14.00% उच्च	1096680.00	मेसर्स कैलादेवी कान्स०	पढ़ा गया
344	वार्ड-23 के अन्तर्गत आर्युवेदिक (ए2जेड के सामने) कम्प्युनिटी सेन्टर (आलू मण्डी किंदवई नगर), सरिया मिल (हमीरपुर रोड), राजीव पार्क (बारा देवी दक्षिण रोड) कुड़ादान रखने हेतु फर्श का निर्माण कार्य।	2(3)F	873271.00	6.91% निम्न	813015.00	मेसर्स सिंह कान्स०	पढ़ा गया
345	जोन-3 के अन्तर्गत ढकना पुरवा एवं बाबा कुटी (टी०पी० नगर) श्रम हितकारी केन्द्र जूही लाल कालोनी मे कुड़ादान रखने हेतु फर्श का निर्माण कार्य।	2(3)F	678613.00	9.99% निम्न	610819.56	मेसर्स त्रिकूट इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
346	जोन-3 वार्ड-108 के अन्तर्गत बेगम पुरवा में म०न०-131/ 173 से 131/ 298 एवं 131/ 210 तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	717085.00	0.5% निम्न	713500.00	मेसर्स सी०एम० कान्स०	पढ़ा गया
347	जोन-3 वार्ड-108 के अन्तर्गत बेगम पुरवा में ब्लाक न०-11,06, एवं 05 मे इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	845270.00	0.5 % निम्न	841044.00	मेसर्स सी०एम० कान्स०	पढ़ा गया
348	जोन-3 वार्ड 96 के अन्तर्गत हसनैन रोड के बगल में म०न०-132/ 466 एवं 132/ 513 के सामने साइड पटरी का	5(3)B	797385.00	2.00% निम्न	781437.00	मेसर्स मून कान्स०	पढ़ा गया

	सुधार कार्य।						
349	जोन-3 वार्ड 90 के अन्तर्गत ई-ब्लाक में म0न0-128 / 121 से 128 / 131 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	639090.00	9.00% निम्न	581571.90	मेसर्स ऑम बिल्डर्स	पढ़ा गया
350	जोन-3 वार्ड 90 के अन्तर्गत ई-ब्लाक में म0न0-128 / 133 से 128 / 143 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	955146.00	12.21% निम्न	838522.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	पढ़ा गया
351	कर्ही मलिन बस्ती म0न0-124 बी भदई राजपूत से रामसेवक के मकान तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार।	5(3)B	731396.00.00	16.13% निम्न	613421.82	मेसर्स अश्विनी कुमार मिश्रा	पढ़ा गया
352	बर्रा विश्व बैंक में म0न0-जे-213 से जे-330 व जे-213 से जे-257,258 तथा जे-741 से जे-724 तक नाली क्रासिंग एवं सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	862155.00	14.01% निम्न	741367.00	मेसर्स बजरंग इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
353	सेक्टर जे में विश्व बैंक बर्रा में म0न0-जे-150 एवं जे-412 से जे-428 तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	666496.00	13.14% निम्न	578918.00	मेसर्स गणेश एण्ड को	पढ़ा गया
354	सेक्टर के विश्व बैंक बर्रा में म0न0-के-401 से के-441 एवं के-582 से के-598 तक नाली क्रासिंग एवं सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	653010.00	13.55% निम्न	564527.00	मेसर्स सुधा कान्सो	पढ़ा गया
355	सेक्टर आई में आई-650 से आई-634 ,आई-8479 से आई-865, आई-880 से आई-893 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा गली का सुधार कार्य।	5(3)B	817383.00	21.99% निम्न	637640.48	मेसर्स अविष्का बिल्डर्स	पढ़ा गया
356	सेक्टर आई में आई-1-86 से आई-1-55 एवं आई-1-271 से आई-1-286 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	999397.00	11.01% निम्न	889363.00	मेसर्स बजरंग इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
357	सेक्टर आई में आई-1-104 से आई-1-87 एवं आई-1-105 से आई-1-122 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	884198.00	13.10% निम्न	768368.00	मेसर्स गणेश एण्ड को	पढ़ा गया

358	आई में आई-1-191 से आई-1-215 एवं आई-1-253 से आई-1-236 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य। सेक्टर	5(3)B	995743.00	1.00% निम्न	985786.00	मेसर्स एस0एस0 इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
359	सेक्टर आई में आई-492 से आई-476 ,आई-448 से आई-436 एवं आई-465 से आई-456 तथा आई-455 से आई-450 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा गली का सुधार कार्य।	5(3)B	923318.00	1.01% निम्न	913992.49	मेसर्स एस0एस0 इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
360	सेक्टर आई में आई-70 से आई-91 एवं आई-295 से आई-311 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं पी0सी0सी0ब्लाक द्वारा नाली का सुधार	5(3)B	954568.00	13.70% निम्न	823793.00	मेसर्स कामदगिरी इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
361	सेक्टर आई में आई-538 से आई-554 एवं आई-510 से आई-523 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं पी0सी0सी0ब्लाक द्वारा नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	598049.00	14.75% निम्न	509837.00	मेसर्स माया बिल्डर्स	पढ़ा गया
362	म0न0 ए.-592 से बी-607 एवं ए-101 से ए-85 तक नाली एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	794328.00	9.99% निम्न	714974.00	मेसर्स कामदगिरी इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
363	म0न0-ए.आई0जी. 20 से 143 तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	985752.00	21.00% निम्न	778744.04	मेसर्स मॉ पिताम्बरा कान्स0	पढ़ा गया
364	म0न0-बी-599 से बी-613 व बी-241 से बी-256 तक नाली एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	793848.00	11.11% निम्न	705651.00	मेसर्स मॉ पिताम्बरा कान्स0	पढ़ा गया
365	म0न0सा-735 से सी-722 एवं सी-218 से सी-233 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	794895.00	10.00% निम्न	715405.0000	मेसर्स दर्शिनी इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
366	लाल कालोनी में ब्लाक 56 से 58 तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	622075.00	17.10% निम्न	515700.17	मेसर्स शिल्पी इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
367	लाल कालोनी में सद्भावना पार्क के पास ब्लाक 178 से 172 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का	5(3)B	665260.00	12.20% निम्न	584098.28	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	पढ़ा गया

	सुधार कार्य।						
368	जे० ब्लाक एवं टी० ब्लाक में म०न०-१२६ / ५७ से १२६ / ५८ एवं १२६ / २० से १२६ / १७ तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	994898.00	13.17% निम्न	863870.0	मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स	पढ़ा गया
369	लाल कालोनी में ब्लाक १५४ / १ से १५६ / ४ एवं १५७ / ४ से १५९ / १ तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	973281.00	10.00% निम्न	875953.00	मेसर्स कामदगिरी इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
370	पुरानी बस्ती नौबस्ता गाँव में पीपलेश्वर महादेव मन्दिर से पिन्की चतुर्वेदी के मकान के समीप तक डीप ड्रेन नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	721717.00	13.90% निम्न	621398.00	मेसर्स सुधा कान्स०	पढ़ा गया
371	म०न०-२२९ विनय दीक्षित के मकान से पंकज जनरल स्टोर तक नाली एवं इन्टरलरकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	795868.00	16.00% निम्न	668529.00	मेसर्स सुधा कान्स०	पढ़ा गया
372	के० ब्लाक स्थित म०न०-१२८ / २३० से १२८ / ३६३ से १२८ / ३५७ तक साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग से सुधार कार्य।	5(3)B	919617.00	21.00% निम्न	726497.43	मेसर्स मॉ पिताम्बरा कान्स०	पढ़ा गया
373	किंदवई नगर स्थित वैभव अपार्टमेन्ट से श्याम नर्सिंग होम तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	958822.00	13.87% निम्न	825833.39	मेसर्स अभिषेक इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
374	के० ब्लाक स्थित म०न०-१२८ / ३५७ के सामने से १२८ / ३७७ तक इन्टरलाकिंग टाइल्स से साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	998968.00	18.23% निम्न	816774.37	मेसर्स श्री हरि कान्स०	पढ़ा गया
375	एच-१ ब्लाक किंदवई नगर स्थित म०न०-१२८ / ४६ से १२८ / ५२ तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	925932.00	13.50% निम्न	800931.00	मेसर्स लखन कान्स०क०	पढ़ा गया
376	जोन-३ वार्ड २५ के अन्तर्गत सफेद कालोनी में ब्लाक न०-३७-३८ व ब्लाक ३४ एवं ३५ के मध्य सविस लेन में नाली क्रासिंग एवं सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	525454.00	3.05% निम्न	509428.00	मेसर्स रवीन्द्र एण्ड ब्रदर्स	पढ़ा गया
377	जोन-३ वार्ड-२३ के अन्तर्गत म०न०-१२७ / ७०४ सं १२७ / ७२१ एवं हमीर पुर रोड से जी०पी०जी विद्यालय तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	986625.00	13.50% निम्न	853430.00	मेसर्स लखन कान्स०क०	पढ़ा गया

378	जोन-3 वार्ड-23 के अन्तर्गत म0न0-127 / 184 सं 127 / 237 होते हुए 127 / 236 तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	990507.00	13.50% निम्न	856788.00	मेसर्स लखन कान्स0क0	पढ़ा गया
379	वार्ड-24 के अन्तर्गत कैशव नगर में एल0आई0जी0 34 से एल0आई0जी0 44 तक सी0सी0 सड़क,नाली व फुटपाथ का निर्माण कार्य।	5(3)B	977356.00	18.2 % निम्न	799477.21	मेसर्स दिलीप कुमार बाजपेयी	पढ़ा गया
380	वार्ड-24 के अन्तर्गत उब्लू ब्लाक मकान नं0 11 एल0आई0जी0 से रमा शिव मार्केट हमीरपुर रोड तक इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	999907.00	15.99 % निम्न	840022.00	मेसर्स पारस नाथ बिल्डर्स	पढ़ा गया
381	उसमानपुर में ब्लाक11 से ई0डब्लू0एस0-23 होते हुए ब्लाक नं0-12 तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का कार्य	5(3)B	598753.00	13.10 % निम्न	520316.00	मेसर्स बजरंग इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया

स्वीकृतार्थ प्रस्ताव

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
382	जोन-3 वार्ड-108 के अन्तर्गत बेगम पुरवा में खुदाई बाबा मजार एवं शहीद बाबा मजार को जाने वाली रास्ते का सुधार कार्य।	5(3)B	1011820.00	आगणन दर	1011820.00	मेसर्स मून कान्स0	स्वीकृत
383	जोन-3 वार्ड 90 के अन्तर्गत एच-2-ब्लाक में म0न0-128 / 116 से 128 / 142 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	1312834.00	12.21% निम्न	1152537.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
384	सेक्टर आई में आई-694 से आई-449 तक इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं पी0सी0सी0ब्लाक द्वारा नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1498865.00	16.1% निम्न	1257547.00	मेसर्स पारस नाथ बिल्डर्स	स्वीकृत
385	सेक्टर आई में आई-936 से आई-192 तक	5(3)B	1292023.00	12.99% निम्न	1124189.21	मेसर्स बजरंग	स्वीकृत

	सडक के दोनों ओर इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार कार्य।					कान्स0	
386	सेक्टर आई में आई-351 से आई-399 एवं पार्क के चारों ओर तथा सी0सी0 रोड से आई-380 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं पी0सी0सी0ब्लाक द्वारा नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1141393.00	0.5% निम्न	1135686.00	मेसर्स एस0एस0 इन्टरप्राइजेज	स्वीकृत
387	सेक्टर आई में आई-1-168 से आई-1-135 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1050073.00	13.99% निम्न	903167.00	मेसर्स कामदगिरी इन्टरप्राइजेज	स्वीकृत
388	म0न0-243 रामनरायन कुशवाहा से म0न0-275 / 8 (परागेश्वर मन्दिर) तक नाली एवं सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	1383003.00	12.3% निम्न	1212893.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
389	के0 ब्लाक किंदवई नगर स्थित म0न0-128 / 543 / 18 से 128 / 543 / 4 तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1304552.00	14.72% निम्न	1112522.00	मेसर्स श्री हरि कान्स0	स्वीकृत
390	के0 ब्लाक किंदवई नगर स्थित म0न0-128 / 314 से 128 / 214 तक सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	1306724.00	14.11% निम्न	1122346.00	मेसर्स बासदेव एण्ड क0	स्वीकृत
391	एच-1 ब्लाक किंदवई नगर स्थित म0न0-128 / 112 से क्रियाघर तक सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	1391822.00	15.00% निम्न	1183048.00	मेसर्स बाबा गोकर्णनाथ बिल्डर्स	स्वीकृत
392	वाई ब्लाक किंदवई नगर स्थित म0न0-128 / 558 से 128 / 563 तक सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	1171927.00	13.24% निम्न	1016764.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
393	के0 ब्लाक म0न0-128 / 778 से 128 / 797 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	1199890.00	14.24% निम्न	1029026.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
394	टिकरा गॉव में श्री राजू रादव के मकान से श्री पप्पू यादव के मकान तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1483168.00	17.1 % निम्न	1229546.00	मेसर्स अंकित कान्स0क0	स्वीकृत
395	खॉण्डेपुर गॉव में श्री राजा सिंह के मकान से श्री शिवचन्द के मकान तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1220307.00	10.00 % निम्न	1098277.00	मेसर्स स्वाती कान्स0 क0	स्वीकृत
396	जोन-3 वार्ड 31 के अन्तर्गत बगाही भट्ठा के	5(3)B	1006325.00	17.51 % निम्न	830117.49	श्री सुन्दर लाल	स्वीकृत

	म0न0-130 / 10 डी से 130 / 15 के पास तक की गलियों का सुधार कार्य						
397	जोन-3 वार्ड 25 जूही बारा देवी के अन्तर्गत राजीव पार्क के पीछे ब्रेड फैक्ट्री के समीप से मकान नं0 127 / 219 तक नाली पटरी एवं सड़क का सुधार।	5(3)B	1395000.00	12.21% निम्न	1224671.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
398	वार्ड-24 के अन्तर्गत साकेत नगर में मकान नं0 127 / 992 डब्लू 1 से 127 / 1073 डब्लू-1 तक सड़क फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1467367.00	13.3 % निम्न	1272207.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
399	वार्ड-24 के अन्तर्गत डब्लू ब्लाक केशव नगर में 127 / 867डब्लू से 127 / 878 डब्लू तक सड़क फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य	5(3)B	1365920.00	22.20 % निम्न	1062685.76	मेसर्स अजय इंटरप्राइजेज	स्वीकृत
400	वार्ड-24 के अन्तर्गत डब्लू ब्लाक केशव नगर में 127 / 866डब्लू ए से 127 / 879 डब्लू तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य	5(3)B	1763745.00	21.66 % निम्न	1381717.83	मेसर्स अजय इंटरप्राइजेज	स्वीकृत

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित—जोन (4)

प्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
401	जोन-4 के अन्तर्गत सड़कों के पैच मरम्मत हेतु एस०डी०सी० की आपूर्ति का कार्य।	नगर निगम निधि	9,62,000.00	9,61,038.00	आगणन दर से 0.10 प्रतिशत निम्न	मे० अभिषेक इंटरप्राइजेज	पढ़ा गयां
402	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत प्रशान्त नर्सिंग होम से सीसामऊ चौरहा तक इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	नगर निगम निधि	9,12,098.00	8,10,216.65	आगणन दर से 11.17 प्रतिशत निम्न	मे० अजय कुमार दीक्षित	पढ़ा गयां
403	जोन-4 वार्ड 49 स्वरूप नगर के अन्तर्गत छोटी गुटैया (मलिन बरस्ती) के अन्दर नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,95,183.00	8,45,906.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मे० एच० आर० ट्रेडर्स	पढ़ा गयां
404	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत ए०एन०डी० कालेज के सामने मकान नं0 111 / 46ए से पेट्रोल पम्प तक इंटरलाकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	9,85,933.00	7,98,704.33	आगणन दर से 18.99 प्रतिशत निम्न	मे० श्रीबालाजी इंटरप्राइजेज	पढ़ा गयां
405	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत जी०टी० रोड स्थित रानी सती मंदिर मुख्य द्वार के बाँधी ओर से रोडवेज वर्क्षाप तक रोड साईड पटरी का इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,93,561.00	7,87,893.87	आगणन दर से 20.70 प्रतिशत निम्न	मे० युनिटी कान्स० एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गयां
406	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत अस्पताल घाट रेलवे लाइन से लालू यादव, डॉ० अम्बेदकर मूर्ति तक गली का इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,93,933.00	6,93,100.00	आगणन दर से 0.12 प्रतिशत निम्न	मे० अली एण्ड सन्स कान्सट्रक्शन	पढ़ा गयां

407	जोन-4 वार्ड 110 के अन्तर्गत कागजी मोहल में मकान नं0 101/290 से 101/289 एवं 101/86 लूला बिरयानी तक नाली, जल निकासी एवं गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	7,78,136.00	7,77,202.00	आगणन दर से 0.12 प्रतिशत निम्न	मे0 अली एण्ड सन्स कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गयां
408	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत मकान नं0 11/134 से इमामबाड़ा तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं जल निकासी कार्य।	नगर निगम निधि	7,52,471.00	7,51,568.00	आगणन दर से 0.12 प्रतिशत निम्न	मे0 अली एण्ड सन्स कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गयां
409	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत नगर निगम गर्ल्स इण्टर कालेज में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने व नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	7,33,049.00	6,15,028.00	आगणन दर से 16.10 प्रतिशत निम्न	मे0 पुष्पेन्द्र कुमार द्विवेदी	पढ़ा गयां
410	जोन-4 वार्ड 15 के अन्तर्गत परमट पुलिस चौकी व शिवनारायण पार्क के पीछे सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,19,189.00	5,57,332.00	आगणन दर से 9.99 प्रतिषत निम्न	मे0 जी0 एस0 कान्स0 कम्पनी	पढ़ा गयां
411	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत पुराना कानपुर में 6/33 के0डी0ए0 कालोनी की आन्तरिक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,90,973.00	6,70,244.00	आगणन दर से 3.00 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गयां
412	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत आनन्द बाग पार्क का जीर्णोद्धार का कार्य।	कोयला मन्त्रालय	6,03,051.00	5,84,960.00	आगणन दर से 3.00 प्रतिशत निम्न	मे0 अनन्या कान्स0 एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गयां
413	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/224 से 106/88 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	10,70,461.00	9,97,819.00	आगणन दर से 6.786 प्रतिशत निम्न	मे0 सत्या कान्स0 कम्पनी	पढ़ा गयां
414	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत कमला नेहरू पार्क के बगल स्थित बारातशाला का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	7,29,967.00	6,82,519.00	आगणन दर से 6.50 प्रतिशत निम्न	मे0 श्रीबालाजी इन्जी0 वर्क्स	पढ़ा गयां
415	जोन-4 वार्ड 04 के अन्तर्गत ग्वालटोली में 12/372 दुर्गेश यादव के मकान से 12/292 तक सड़क के दोनों ओर इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,82,402.00	6,41,457.00	आगणन दर से 6.00 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गयां
416	जोन-4 वार्ड 06 ब्लाक सं0 13 के सामने स्थित पार्क की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	कोयला मन्त्रालय	5,84,395.00	5,34,137.00	आगणन दर से 8.60 प्रतिशत निम्न	मे0 रामसिंजोर	पढ़ा गयां
417	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत फातिमा कानवेन्ट स्कूल से मोतीझील अमर जवान चौक तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	7,58,772.00	6,47,233.00	आगणन दर से 14.70 प्रतिशत निम्न	मे0 श्रीनाथ जी कान्स0	पढ़ा गयां
418	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत रामचन्द्र चौराहे से लवकुश अपार्टमेन्ट तक सड़क पटरी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,38,276.00	5,72,789.00	आगणन दर से 10.26 प्रतिशत निम्न	मे0 प्रिया इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गयां

मा० कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

प्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
419	जोन-४ वार्ड 11 के अन्तर्गत मकान नं० 104ए/264, 104ए/244 व 104ए/227 की गलियों में साईड पटरी पर इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	13,03,710.00	10,91,857.00	आगणन दर से 16.25 प्रतिशत निम्न	मे० पुष्पेन्द्र कुमार द्विवेदी	स्वीकृत
420	जोन-४ वार्ड 43 के अन्तर्गत नगर निगम मुख्यालय के साईकिल स्टैण्ड वाली सड़क, गेट एवं बाउण्ड्री वाल मरम्मत तथा गोल बिल्डिंग के बगल में नाली मरम्मत एवं इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	13,93,955.00	12,26,694.40	आगणन दर से 11.999 प्रतिशत निम्न	मे० एन० एस० द्रेडर्स	स्वीकृत
421	जोन-४ वार्ड 110 के अन्तर्गत छोटे मियाँ हाता मेन रोड पर गेट से पुलिस चौकी के पीछे तक इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार व जल निकासी का कार्य।	नगर निगम निधि	11,63,088.00	11,57,272.60	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे० अली एण्ड सन्स कान्स्ट्रक्शन	स्वीकृत
422	जोन-४ वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेमनगर स्कूल, नगर निगम दुकानों के ऊपर स्थित बारातषाला के द्वितीय तल पर फर्म निर्माण एवं पैरापेट को ऊँचा करने का कार्य।	नगर निगम निधि	10,70,399.00	10,69,863.80	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे० अतुल कुमार सिंह	स्वीकृत
423	जोन-४ वार्ड 78 के अन्तर्गत स्थित मोहम्मद अली पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य।	कोयला मन्त्रालय	11,69,989.00	11,02,293.00	आगणन दर से 5.786 प्रतिशत निम्न	मे० जी० एफ० इंटरप्राइजेज	स्वीकृत
424	जोन-४ वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं० 106/364 से 106/375ए तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा, फुटपाथ का इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा व नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	11,87,441.00	11,62,505.00	आगणन दर से 2.10 प्रतिशत निम्न	मे० एस० आर० जी० टाइल्स इण्डस्ट्रीज	स्वीकृत
425	जोन-४ वार्ड 49 के अन्तर्गत ग्वालिन चौराहा क्लासिक अपार्टमेन्ट से बाबा भोलेश्वर मन्दिर तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	12,15,549.00	12,02,178.00	आगणन दर से 1.10 प्रतिशत निम्न	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा० लिमि०	स्वीकृत
426	जोन-४ वार्ड 49 के अन्तर्गत इन्द्रजीत जैन मार्ग शाही दरबार से बैनाझाबर मुख्य मार्ग तक एवं बैनाझाबर रोड अपोका पेट्रोल पम्प से क्लासिक अपार्टमेन्ट तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	11,91,454.00	11,78,348.00	आगणन दर से 1.10 प्रतिशत निम्न	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा० लिमि०	स्वीकृत
427	जोन-४ वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं० 106/366 से 106/370 तक फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	11,30,973.00	10,64,698.00	आगणन दर से 5.86 प्रतिशत निम्न	मे० सत्या कान्स० कम्पनी	स्वीकृत
428	जोन-४ वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं० 106/371 से 106/370 तक फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	11,57,302.00	10,66,338.00	आगणन दर से 7.86 प्रतिशत निम्न	मे० सत्या कान्स० कम्पनी	स्वीकृत
429	जोन-४ वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं० 111ए/21 से 111ए/06 तक फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	14,60,563.00	12,34,176.00	आगणन दर से 15.50 प्रतिशत निम्न	मे० श्रीनाथ जी कान्स०	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या—430

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/179/न.आ./पर्यां.अभि./13-14 दिनांक 31.12.13 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यूआई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) हेतु उप सचिव, नगर विकास अनुभाग-9 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या आरएफ.521/नौ-9-13-103 आरएफ/11 दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 में शासन के वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत योजना की धनराशि ` 27094.89 लाख की पुनरीक्षित धनराशि ` 34080.00 लाख के सापेक्ष अवशेष निकायांश ` 2095.490 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है। लेखा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सम्बन्धित खाता 07277000101135001 पुनरीक्षित धनराशि ` 34080.00 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत निकायांश दिनांक 16.12.2013 को ` 2095.490 प्राप्त हुआ है। इस धनराशि को कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर योजना व कार्यहित में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 31.12.2013 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—431

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/180/न.आ./पर्यां.अभि./13-14 दिनांक 31.12.13 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यूआई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना पार्ट-II (अवशेष भाग) हेतु उप सचिव, नगर विकास अनुभाग-9 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या आरएफ.521/नौ-9-13-103 आरएफ/11 दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 में शासन के वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत योजना की धनराशि ` 37778.92 लाख की पुनरीक्षित धनराशि ` 47515.00 लाख के सापेक्ष अवशेष निकायांश ` 3372.826 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है। लेखा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सम्बन्धित खाता 0727000101140359 में पुनरीक्षित धनराशि ` 47515.00 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत निकायांश दिनांक 16.12.2013 को ` 3372.826 लाख प्राप्त हुआ है। इस धनराशि को कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर योजना व कार्यहित में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 31.12.2013 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—432

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/201/न.आ./पर्यां.अभि./13-14 दिनांक 07.02.14को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज (District-IV & Part-III) हेतु विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 8392521 / नौ-5-2012-55 बजट / 2006 टी.सी. दिनांक 31.12.2013 के क्रम निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. के पत्रांक: पी.एम.यू. 1664 / 124(4) / जे.एन.एन.यू.आर.एम. / 2012-13 दिनांक 16 जनवरी, 2014 के अनुसार उक्त योजना की स्वीकृत धनराशि 20736.00 के सापेक्ष तृतीय किश्त की केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि ` 3500.00 लाख की प्राप्त हुई है। जिसे योजना के कार्यहित में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 05.02.2014 को नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-433

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/203/न.आ./पर्याय.अभि./13-14 दिनांक 07.02.14 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज (Construction of 210 Mld treatment plant at Bingawan) हेतु विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 8392521 / नौ-5-2012-55 बजट / 2006 टी.सी. दिनांक 31.12.2013 के क्रम निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. के पत्रांक: पी.एम.यू. 1664 / 124(4) / जे.एन.एन.यू.आर.एम. / 2012-13 दिनांक 16 जनवरी, 2014 के अनुसार उक्त योजना की स्वीकृत धनराशि 10100.45 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि 1742.28 लाख की प्राप्त हुई है। जिसे योजना के कार्यहित में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 05.02.2014 को नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-434

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/483/न.आ./अ0अ0-6./13-14 दिनांक 31.12.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन-6 वार्ड 27 सरोजनी नगर के अन्तर्गत सिन्धी कालोनी में गेट नं0-02 (तेक चन्द्र द्वार) से त्रिलोकी चन्द्र द्वार तथा मं0नं0 122/553 से गेट नं0-5 तक नाली एवं साइड पटरी का सुधार हेतु आगणन धनांक रूपया 20,10,563.00 का बनाया गया है जिसे बजट हेड 5(3) ख से करया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक रू 20,10,563.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।
..... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—435

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी / 457 / न.आ./ अ0अ0—1. / 13—14 दिनांक 22.01.14 को मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/विचारार्थ प्रेषित।
विषय:- जोन-1 वार्ड 85 के अन्तर्गत मूलगंज चौराहे से बॉसमण्डी चौराहे तक सड़क का नामकरण स्व0 जितेन्द्र बहादुर के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि श्री सिराज हुसैन , अध्यक्ष, स0प0छात्र सभा, कानपुर द्वारा कानपुर नगर निगम के अन्मर्तगत वार्ड 85 में मूलगंज चौराहे से बॉसमण्डी चौराहे तक सड़क (लाटूस रोड) का नामरकण स्व0 जितेन्द्र बहादुर के नाम से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जोन-1 वार्ड 85 के अन्तर्गत मूलगंज चौराहे से बॉसमण्डी चौराहे तक सड़क का नामकरण स्व0 जितेन्द्र बहादुर के नाम से किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..... चूंकि पहले से ही प्रश्नगत मार्ग का नामकरण है, अतएव अन्य किसी मार्ग के नामकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या—436

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी / 362 / एन0एस0ए0(चि0) 13—14 दिनांक 28.01.14 को मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

श्री श्रवण कुमार पाण्डेय, फार्मेसिस्ट, का दिनांक 08.01.14 को मार्ग दुर्घटना होने के कारण ला0ला0राय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया । श्री पाण्डेय द्वारा अपने इलाज हेतु धनांक रु0 50,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) अग्रिम की मांग की गयी है।

अतः श्री एस0के0 पाण्डेय के इजाल हेतु अग्रिम दिये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।
..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—437

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

नगर निगम के कीडा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय किकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को पालिका स्टेडियम पर रंजी ट्राफी किकेट खिलाड़ियों एवं समय पर अन्तर्राष्ट्रीय किकेट खिलाड़ियों से किकेट का प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिये श्री लोकेश धर्माधिकारी 11 / 218, सूटरगंज, कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:-

- प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क आर्य नगर, कानपुर में किकेट नर्सरी को सुचार रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा क्रिकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवायें प्राप्त करेगे।

2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महिने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री लोकेश धर्माधिकारी) पालिका स्टेडियम पर किकेट नर्सरी के नाम से शर्तों के अधीन किकेट नर्सरी चलायेंगे। किकेट नर्सरी में बच्चों को केवल क्रिकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, (रणजी ट्राफी) अन्तराष्ट्रीय, एन0आई0एस0 , बी0सी0सी0आई0 से प्रशिक्षित क्रिकेट प्रशिक्षकों व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क पर किकेट नर्सरी चलाने पर प्रथम पक्ष के क्रीड़ा विभाग में प्रति माह रु0 8000.00 (रु0 आठ हजार मात्र) किराए के रूप में जमा करना होगा। यह धन राशि एक वर्ष हेतु एकमुश्त रूपया 96,000.00 (रु0 छियान्वे हजार मात्र) जमा करने होगें और पूर्व वर्ष के कार्य को संतोष जनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से किकेट नर्सरी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा एवं कार्यकारिणी की अनुमति पर दूसरे वर्ष के संतोषजनक कार्य पर तीसरे वर्ष किकेट नर्सरी को चलाये जाने पर भी 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष किकेट नर्सरी चलाने हेतु रु0 25,000/- (रूपया पचीस हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम ड्राफट के रूप में जमा करेगा जिसकी वापसी किकेट नर्सरी के संतोषजनक संचालन के पश्चात् प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्यकुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को पालिका स्टेडियम पर किकेट नर्सरी चलाने हेतु क्रिकेट नेट प्रातः व सायं काल सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तों के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराए जायेंगे।
7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदों, अधिकारियों/ कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय समय पर दी जायेगी।
8. यह कि द्वितीय पक्ष किकेट नर्सरी को सुचार रूप से संचालित करने के लिये नेट, बॉल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा क्रिकेट खेलने के उन्नयन एवं संबद्धन करने हेतु, सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम तथा क्रिकेट खेल से सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम कीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग / प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा, और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
 11. यह कि किकेट नर्सरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम के अन्दर नहीं किया जायेगा।
 12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
 13. यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि ₹0 25,000/- (रुपया पचीस हजार मात्र) को जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दे।
 14. यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा, और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।
- माझे कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।
..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—438

कार्यालय पत्र सं0 2040/एमसी/सी0ई0(ला0)/13–14 दिनांक 10.02.14ों अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित।
नगर निगम बालिका इण्टर कालेज हीरामनपुरवा मे वायरिंग का कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए धनांक 6,68,886.16 (रुपया छः लाख अड़सठ हजार आठ सौ छियासी एवं पैसा सोलह) मात्र के व्यय की स्वीकृति मेसर्स वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स के पक्ष में नगर आयुक्त के द्वारा दिनांक को प्रदान कर दी गई है।

अतः अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

सभापति ने कहा कि माझे पार्षद द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि उक्त भवन अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और टूट-टूट कर गिर रहा है तथा वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी अत्यधिक कम है।

..... उक्त भवन का स्थलीय निरीक्षण कराकर भवन मरम्मत करायें जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या—439

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-1 के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत मा० कार्यकारणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। जोन-1के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 22.02.14 को स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

विषय:- जोन-1 वार्ड -85 के अन्तर्गत नवीन पार्क मोड से 80 / 54 न्यू बाबा होटल तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य।

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से दिनांक 10.10.13 को धनांक रु. 112825.00 की प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में कार्य की निविदायें दिनांक 15.02.2014 को आमंत्रित की गई थी। उपरोक्त कार्य की पूर्व में दिनांक 30.10.13, 12.11.13, को मात्र एक (निविदा) व 25.01.14 को निविदा आमंत्रित की गई जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई पुनः दिनांक 15.02.14 को चौथी बार निविदाए आमंत्रित की गई जिसमें दो निविदा प्राप्त हुईं प्राप्त हैं वैध निविदा में से सर्वन्यून निविदादाता मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा०लि० की निविदा आगणन से 0.10 % निम्न पर धनांक रु 1883494.00 की प्राप्त हुई है। दरें उचित एवं कार्यहित में स्वीकृत योग्य है। अतः न्यूनतम निविदादाता मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा०लि० की निविदा आगणन से 0.10 % निम्न पर धनांक रु 1883494.00 की स्वीकृति योग्य है कार्य की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत निविदा स्वीकृतार्थ प्रेषित है। प्रस्ताव मा० कार्यकारणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-440

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/702/अ०अ०-६ दिनांक 22.02.14 नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन-6 वार्ड 61 लाजपत नगर में म०न० 120 / 161 से रंगोली गेस्ट हाउस तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक रूपया 1835745.00 का बनाया गया है जिसे बजट हेड 5(3) ख से करया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक 1835745.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

श्री अभिषेक गुप्ता “मोनू” ने कहा कि इस प्रस्ताव पर यह कहना है कि समस्त 110 पार्षदों में से कुछ पार्षदों के तो करोड़ों की धनराशि के कार्य उनके क्षेत्र में हो चुके हैं परन्तु फिर भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं और कुछ पार्षदों के क्षेत्रों में रु० 20 लाख के भी कार्य नहीं कराये गये हैं। इसलिये आपसे अनुरोध है कि सभी निर्वाचित पार्षदों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया जाये।

सभापति ने कहा कि श्री अभिषेक गुप्ता की टिप्पणी उचित है। अतः नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी मा० सांसद, विधायक अथवा पार्षद के क्षेत्र में समानता के आधार पर धनराशि बजट में प्राविधानित करते हुये ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इससे जो कार्यों में विषमता दृष्टिगोचर हो रही है उस पर रोक के साथ-साथ नगर निगम में वित्तीय संतुलन भी यथावत् कायम रह सकेगा।

..... अस्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या-441

श्री राकेश साहू (पार्षद) एवं 15 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय— विद्युत शवदाह गृह में अन्तिम संस्कार निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाया देने के लिये भैरोधाट व भगवत दास स्थित विद्युत शवदाह गृह में अन्तिम संस्कार को निःशुल्क कर दिया जाये।

अतः आपसे निवेदन है कि लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी ने बैंकुठ धाम स्थित विद्युत शवदाह गृह को निःशुल्क कर दिया गया है। कानपुर नगर में स्थित भैरोधाट व भगवत दास विद्युत शवदाह गृह को निःशुल्क किये जाने के आदेश देने की कृपा करे। प्रस्ताव मात्र कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (वि०/य०) ने कहा कि रु० 2500/- प्रति शवदाह में विद्युत का खर्च आता है, परन्तु परिजनों से रु० 500/- शुल्क लिया जाता है और लावारिश शवों का निःशुल्क शवदाह किया जाता है।

..... पूर्ववत् व्यवस्था लागू रखी जाये।

प्रस्ताव संख्या—442

श्रीमती पूनम द्विवेदी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मात्र महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

विषय— पार्क 77 जोन—2 वार्ड 77 श्याम नगर के नामकरण के सन्दर्भ में।

विनम्र निवेदन है कि जोन—2 वार्ड 77 ई ब्लाक श्याम नगर में पार्क —77 को केठी०ए० द्वारा सुन्दरीकरण कराकर नगर निगम कानपुर को हस्तान्तरित किया जा चुका है। किन्तु इस पार्क को अब तक कोई नाम नहीं दिया जा सका है। अतः क्षेत्र के लोगों की सहमति से उक्त पार्क का नाम “विवेकानन्द” पार्क रखने हेतु सहमति तथा नगर निगम सदन की स्वीकृति हेतु निवेदन किया है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त पार्क का नाम “विवेकानन्द पार्क” रखने की कृपा करें। प्रस्ताव मात्र कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

सभापति ने कहा कि चूंकि पार्क के नामकरण से स्वामी विवेकानन्द को जोड़ा जा रहा है तत्क्रम में मैं भी वर्तमान नगर आयुक्त के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पूर्व में मेरे द्वारा कारगिल पार्क में स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति स्थापित करते हुये दर्शनीय स्थल बनाये जाने हेतु स्वामी विवेकानन्द की 150वें वर्ष में कन्याकुमारी स्थित स्वामी विवेकानन्द रॉक के अनुरूप ही कारगिल पार्क का विकास करने हेतु स्वयं प्रस्तुत किया गया था, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत भी किया जा चुका है, जिस पर पूर्व के नगर आयुक्त श्री एन.के.एस. चौहान द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसकी दो बैठकें भी हुई थीं परन्तु उस पर आगे क्या कार्यवाही हुई, से अवगत नहीं कराया गया है।

..... संदर्भित के परिप्रेक्ष्य में दिनांक—16.01.2013 की कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर कारगिल पार्क में स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति लगाने की पत्रावली का परीक्षण कर कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या—443

श्री नवीन पण्डित (पार्षद) एवं 08 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मात्र महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

बर्ग –6 में के०डी०ए० धर्मशाला जिसकी काफी दुर्दशा थी आपके अथक प्रयासों से इसकी सफाई व जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। के०डी०ए० ने नगर निगम को हैण्डओवर कर दिया है। यहां पर रहने वाले स्व० कमल यादव ने धर्मशाला के सुन्दरीकरण कराने के लिये अथक प्रयास किये थे। अतः क्षेत्र की जनता की इच्छा है कि धर्मशाला का नाम स्व० कमल यादव के नाम से किया जाये।

महोदय इसी प्रकार बर्ग–6 में काफी गन्दगी व्याप्त थी सि कारण हमारे क्षेत्र कास छोटा बच्चा मास्टर माहित सिकी उप्र 09 वर्ष थी गन्दगी के कारण उसे हमारे बीच से जाना पड़ा उसके बाद से हम लोगों ने बर्ग को साफ सुधरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपके अथक प्रयासों से शास्त्री चौक से बाई पास तक ग्रीन बेल्ट से हजारों ट्रक कूड़े को हटाकर कूड़ा मुक्त आने कर दिया और महादेव चौक के बगल में एक चौक और बनाने का आदेश दिया है जिसका वर्कआर्डर भी जारी हो चुका है। क्षेत्र की जनता ने नगर निगम से प्रसन्न होकर नगर निगम से मांग की है कि इस चौक (स्थान) का नाम मा० माहिर चौक कर दिया जाये। प्रस्ताव मा० कार्यकारणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

..... निरस्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या—444

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/185/एसडब्लूए/एमसी दिनांक 07.05.14 मा० कार्यकारणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

विषय: फारिंग कार्य हेतु मैलाथियन टेक्निकल 95 प्रतिशत के क्य के सम्बन्ध में।

आपसे अनुरोध है कि फारिंग कार्य हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मैलाथियन टेक्निकल 95 प्रतिशत मेसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत सरकार का उपकरण) से किया जाना है। 1500 किग्रा० की धनांक रूपया 265.65 प्रति किलोग्राम की दर से (वैट एवं अतिरिक्त करों सहित) क्य किया जाना है जिसका कि कुल धनांक रूपया 3,98,475.00 (तीन लाख अट्ठानवे हजार चार सौ पिचहत्तर) है। जिसकी की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा 23.04.14 को एवं मा० महापौर जी द्वारा 25.04.14 को प्रदान की गयी है।

अतः प्रस्ताव माननीय कार्यकारणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

..... पढ़ा गया।

माननीय कार्यकारणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

प्र०सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
445	जोन-2 वार्ड 19 सनिगंवां के अन्तर्गत टिकरा पैगम्बरपुर गाँव में श्रीपाल यादव के मकान से कादरी लाल मंदिर होते हुए शिवपाल सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क	नगर निगम निधि	9,98,889.00,	8,99,100.00	आगणन दर से 9. 99 % निम्न	मे० जी०एस०इ०प्रा०	पढ़ा गया

	एवं नाली का सुधार कार्य।						
446	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत ओमपुरवा में 67/34 से हलीम मस्जिद होते हुये 67/8 पोखरपुर गाँव तक सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	10,75,890.00,	9,91,325.00	आगणन दर से 7. 86 % निम्न	में० एन०एस० ट्रेडर्स	पढ़ा गया
447	जोन-2 वार्ड 29 के अन्तर्गत देवीगंज अशोक यादव के मकान से मजार होते हुये सीताराम के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	5,24,903.00,	5,24,850.00	आगणन दर से 0. 01 % निम्न	में० एवरग्रीन इ०प्रा०	पढ़ा गया
448	वार्ड 70 तिवारीपुर के अन्तर्गत ताड बगिया हरि बिल्डिंग से मकान नं० 461/8 ए व 461 तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,14,365.00,	6,71,037.00	आगणन दर से 17.6 % निम्न	में० अन्नपूर्णा कान्स० कं०	पढ़ा गया
449	जोन-2 वार्ड 53 के अन्तर्गत दहेली सुजानपुर मे भवन सं० डी-149 से भवन सं० डी-159 ए तक नाली की मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,87,912.00,	8,68,671.00	आगणन दर से 12.07 % निम्न	में० कृष्णा कान्स० कं०	पढ़ा गया
450	जोन-2 वार्ड-77 के अन्तर्गत भवन सं० सी० 644 से सी० 762 तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,97,324.00	9,16,940.00	आगणन दर से 8. 06 % निम्न	में० वी०वी०एम०कान्स०	पढ़ा गया
451	वार्ड 19 मे सनिगवाँ सजारी मे सिद्धनाथ पार्क के मकान से रामपाल के मकान व काली मंदिर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य।	नगर निगम निधि	9,95,916.00	8,75,709.00	आगणन दर से 12.07 % निम्न	में० कृष्णा कान्स०कं०	पढ़ा गया
452	जोन-2 वार्ड 70 के अन्तर्गत तिवारीपुर ताड बगिया मे गजराज यादव के मकान से विजय पाल के घर तक सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	5,11,489.00	5,10,005.00	आगणन दर से 0. 29 % निम्न	में० अमिताभ उपकम	पढ़ा गया
453	वार्ड 19 मे सनिगवाँ के अन्तर्गत केआर पुरम मे चंदारी मुख्य मार्ग से केआर एजुकेशन	नगर निगम निधि	9,97,385.00	9,77,437.00	आगणन दर से 2. 00 % निम्न	में० ओम प्रकाश मंगलानी	पढ़ा गया

	बाउन्डी तक दायी ओर गहरी नाली का निर्माण						
454	जोन-2 वार्ड-77 के अन्तर्गत वार्ड 77 श्याम नगर में ए-78 से मो० सूलेमान के घर तक सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,92,743.00	8,83,641.00	आगणन दर से 10.99 % निम्न	में० अवस्थी कान्स० कं०	पढ़ा गया
455	जोन-2 वार्ड 53 के अन्तर्गत एम० आई० जी० 63 एवं 145 ई से 209 ई तक इंटरलाकिंग लगाने का कार्य।	नगर निगम निधि	10,21,564.00	9,19,408.00	आगणन दर से 10.00 % निम्न	में० सुभद्रा स्तुति कान्स०	पढ़ा गया
456	वार्ड 19 मे० सनिगाँव के अन्तर्गत केआर पुरम में चंदारी मुख्य मार्ग से केआर एजुकेशन तक गहरी नाली का निर्माण	नगर निगम निधि	9,90,987.00	9,58,284.00	आगणन दर से 3. 30 % निम्न	में० मनोज टैक्सिंग कं०	पढ़ा गया
457	जोन-2 वार्ड 70 के अन्तर्गत तिवारीपुर में म० नं० 143/3 से 143/10, 96/3 से 97/6, 106/6 से 106/3, 137/3 से 137/10, 135/3 से 135/10, 133/3 से 133/10 एवं 129/10 से 129/3 तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,84,945.00	9,82,483.00	आगणन दर से 0. 25 % निम्न	में० अमिताभ उपकरण	पढ़ा गया
458	जोन-2 वार्ड 39 के अन्तर्गत सकरा गाँव में अष्टरफी लाल के मकान से लेकर राम स्नेही व देवीदीन के मकान होते हुये वीरेन्द्र नट के मकान तक इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,98,011.00	9,22,661.00	आगणन दर से 7. 55 % निम्न	में० हरिओम बंजरगी	पढ़ा गया
459	जोन-2 वार्ड-28 के अन्तर्गतपी० ए० सी० मोड से श्याम नगर ओवर ब्रिज मोड तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य।	नगर निगम निधि	10,64,753.15	8,75,759.47.00	आगणन दर से 17.75 % निम्न	में० सुभद्रा स्तुति कान्स०	पढ़ा गया
460	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत गांधी ग्राम में मकान नं० 48/2 ए राजसिंह यादव के	नगर निगम निधि	9,78,132.00	9,75,687.00	आगणन दर से 0. 25 % निम्न	में० पी०ए०स०इ०प्रा०	पढ़ा गया

	मकान से जमुना फार्म के दायी ओर नाला निर्माण कार्य।						
461	जोन-2 वार्ड 70 के अन्तर्गत तिवारीपुर के ताड बगिया में बब्लू पंडित के मकान से सी0 के0 झॉ एवं सीमा तिवारी के मकान होते हुये फूलचन्द श्रीवास्तव के मकान तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,81,530.00	9,76,622.00	आगणन दर से 0. 50 % निम्न	में0 अमिताभ उपकम	पढ़ा गया
462	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत संजय नगर कालोनी में अग्निहोत्री के मकान से उमाशंकर तिवारी एवं सिया के मकान व त्रिलोकी सि हके मकान तक दोनों तरफ नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य।	नगर निगम निधि	7,57,926.00	6,64,701.00	आगणन दर से 12.03 % निम्न	में0 अजय इंप्रा0	पढ़ा गया
463	जोन-2 वार्ड-77 के अन्तर्गत वार्ड 77 श्याम नगर सी ब्लाक में डाकखाने वाली गली भवन सं0 सी0 637 से 630तक नाली एवं सड़क सुधार का कार्य।	नगर निगम निधि	892956.00	863845.00	आगणन दर से 3. 26 % निम्न	में0 गणेश एण्ड कं0	पढ़ा गया
464	जोन-2 वार्ड-77 के अन्तर्गत श्याम नगर सी ब्लाक में डाकखाने वाली गली भवन सं0 सी0 448 से 638 तक नाली एवं सड़क सुधार	नगर निगम निधि	856376.00	838475.00	आगणन दर से 2. 09 % निम्न	में0 गणेश एण्ड कं0	पढ़ा गया
465	जोन-2 वार्ड 70 तिवारीपुर के अन्तर्गत जे0के0रियान रोड से पिन्टु पाल व सुरेष के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य।	नगर निगम निधि	878834.00	790951.00	आगणन दर से 10.00 % निम्न	में0 ए0जे0 टेडर्स	पढ़ा गया
466	सनिगवॉ के अन्तर्गत यादव नगर में उमेश चन्द्र उपाध्याय के मकान से भगवती चन्द्र मिश्रा के मकान होते हुये ओम प्रकाश यादव के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य।	नगर निगम निधि	973529.00	812800.00	आगणन दर से 16.51 % निम्न	में0 अन्नपूर्णा कान्सं0 कं0	पढ़ा गया
467	जोन-2 वार्ड 19 सनिगवॉ के अन्तर्गत	नगर निगम	856653.00	706567.00	आगणन दर से	में0 राजीव कान्सं0	पढ़ा गया

	अहिरवॉ में पेटोल पम्प के पास चरन यलाल के मकान से जानकी प्रसाद व रामकुमार एवं हरिकेश के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	निधि			17.52 % निम्न	कं0	
468	जोन-2 वार्ड 37 के अन्तर्गत परदेवनपुर में म0 सं0 ई-120 से सिद्धनाथ पार्क तक नाली एवं हॉट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	972144.00	911385.00	आगणन दर से 6. 25 % निम्न	मे0 अखिलेश एसोसियेट	पढ़ा गया
469	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत गांधी ग्राम में मकान नं0 41/2 ए राजसिंह यादव के मकान से जमुना फार्म के बायी ओर नाला निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	960130.00	957729.00	आगणन दर से 0. 25 % निम्न	मे0 पी0एस0 ई0 प्रा0	पढ़ा गया
470	जोन-2 वार्ड 37 के अन्तर्गत के0 डी0 ए0 कालोनी में मकान नं0 71 से 183 तक के के0 एण्ड0 सी0 नाली का निर्माण एवं हिन्दुस्तान फर्नीचर 181 ए, 71 ए व 183 ए तक एच0 एम0 पी0 द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	976505.00	907661.00	आगणन दर से 7. 05 % निम्न	मे0 अखिलेश एसोसियेट	पढ़ा गया
471	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत नेताजी नगर में भवन सं0 13 बी से मास्टर यादव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	नगर निगम निधि	1008090.00	826533.00	आगणन दर से 18.01 % निम्न	मे0 राधे-राधे कान्सं0	पढ़ा गया
472	जोन-2 वार्ड 67 के अन्तर्गत गोपाल नगर में लाल सिंह यादव के मकान से गुप्ता चौराहा तक गहरी कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	862555.00	862555.00	आगणन दर पर	मे0 आर0 के0 द्विवेदी ई0 प्रा0	पढ़ा गया
473	जोन-2 वार्ड 53 के अन्तर्गत दहेली सुजानपुर में ई 180 से ई 153 तक तिकाना	नगर निगम निधि	964073.00	837780.00	आगणन दर से 13.10 % निम्न	मे0 गणेश एण्ड कं	पढ़ा गया

	पार्क के पास केसी नाली एवं इंटरलॉकिंग द्वारा सडक सुधार कार्य।						
--	---	--	--	--	--	--	--

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

प्र0स0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
474	जोन-2 वार्ड 70 तिवारीपुर के अन्तर्गत जेठोकालोनी से 181/3 अमान उल्ला के मकान से मकान नं 244/3 तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य।	नगर निधि	निगम 13,23,453.00	निगम 13,19,483.00	आगणन दर से 0.3 % निम्न	में0 अमिताभ उपकम	स्वीकृत
475	जोन-2 वार्ड 19 सनिगर्वां के अन्तर्गत टिकरा-पैगम्बरपुर गाँव में हरिश्वर देव मंदिर से ननकू कोरी के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम 12,15,297.00	निगम 10,57,430.00	आगणन दर से 12.99 % निम्न	में0 मनोज ट्रेडिंग कंपनी	स्वीकृत
476	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत के अतुल सरस्वती स्कूल से रामलीला पार्क तक सडक सुधार कार्य।	कोयलामंत्रालय / नगर निगम निधि	निगम 14,64,849.00	निगम 12,40,727.00	आगणन दर से 15.30 % निम्न	में0 अजय झो प्रां	स्वीकृत
477	चक्रोरी के अन्तर्गत ग्राम कुलगांव में श्री रजोला कुरील के मकान से लल्लू माली के मकान तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	नगर निधि	निगम 11,57,631.00	निगम 10,64,466.00	आगणन दर से 8.04 % निम्न	में0 मौ मैहर टेक्सर्स	स्वीकृत
478	जोन-2 वार्ड 95 के अन्तर्गत वषीलाल की दूकान से नूरानी मस्जिद तक इण्टरलाकिंग द्वारा सड़क एवं गहरी नाली का निर्माण कार्य।	नगर निधि	निगम 10,73,440.00	निगम 10,12,254.00	आगणन दर से 5.70 % निम्न	में0 गणेश नरायण अवस्थी	स्वीकृत
479	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत ओमपुरवा में सांसद निवास गेट से अखिलेश पाल के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक	नगर निधि	निगम 12,55,518.00	निगम 10,64,051.00	आगणन दर से 15.25 % निम्न	में0 सुभद्रा स्तुति कान्सं	स्वीकृत

	एवं नाली का सुधार कार्य।						
480	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत मलिन बस्ती भवन सं 38/1 से सुनील के मकान होते हुये गुजरात के मकान तक सड़क सुधार	नगर निधि	निगम	12,04,970.00,	10,78,448.00	आगणन दर से 10.50 % निम्न	में0 आर० के० द्विवेदी इ०प्रा०
	कार्य						
481	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत आर पी सक्सेना के मकान से एच1/50 सड़क एवं फुटपाथ सुधार	नगर निधि	निगम	13,51,755.00	12,30,097.00	आगणन दर से 9.00 % निम्न	में० मॉ मैहर टेह्र्स
482	जोन-2 वार्ड 67 के अन्तर्गत योदा नगर में रामदुलारी स्कूल से अजय सिंह के मकान तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम		1458000.00	1441816.00	आगणन दर से 1.11 % निम्न	में० ओम प्रकाश मंगलानी
483	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत गांधी ग्राम में टटिया झनांका में ओम सरस्वती विद्या मंदिर इटर कालेज से अम्बेडकर पाक 'की बाउन्डी तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम		1468591.00	1216728.00	आगणन दर से 17.15 % निम्न	में० अन्नपूर्णा कान्स०
484	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत वाई ब्लाक किंदवई नगर आनन्द प्रिया कुशवाहा० के मकान से 128/194 से 736 तक सड़क सुधार कार्य।	कोयलामंत्रालय		1622532.00	1346718.00	आगणन दर से 16.999 % निम्न	में० सिकन्दर सप्लासर्य
485	जोन-2 वार्ड 48 के अन्तर्गत किंदवई नगर में अजय त्रिपाठी के मकान से 128/9354 श्री प्रकाश नरायण के मकान से 128/657 तक सड़क सुधार कार्य।	कोयलामंत्रालय		1793512.00	1614178.00	आगणन दर से 9.999 % निम्न	में० विजय कुमार यादव
486	जोन-2 वार्ड 28 के अन्तर्गत दुर्गा मंदिर से लेकर पुलिस चौकी रोड तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	नगर निगम		1479585.00	1210153.00	आगणन दर से 18.21 % निम्न	में० अन्नपूर्णा कान्स० कं०

अभियंत्रण खण्ड जोन-4
मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

प्र०सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का	निर्णय
---------	--------------	----	------------	--------------	----	------------------	--------

						नाम	
487	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत नगर निगम ईदगाह कब्रिस्तान में कच्चे रस्ते का इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,27,440.00	7,03,407.00	आगणन दर से 14.99 प्रतिशत निम्न	मे0 अंकित एण्ड एसोसिएट्स	पढ़ा गया
488	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत प्रेम नगर चौराहे से झूलेलाल चौराहा व बाल समाज प्रभात शिशु सदन तक इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,91,578.00	5,74,079.00	आगणन दर से 16.99 प्रतिशत निम्न	मे0 अंकित एण्ड एसोसिएट्स	पढ़ा गया
489	जोन-4 वार्ड 94 के अन्तर्गत मौलाना शौकत अली पार्क के पश्चिम की ओर गलियों में इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने व नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,62,198.00	5,82,734.00	आगणन दर से 12.00 प्रतिशत निम्न	मे0 अनन्या कान्स0एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गया
490	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत मकान नं0 109 / 397 से 109 / 416 तक फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली निर्माण कार्य	नगर निगम निधि	8,78,753.00	7,26,641.00	आगणन दर से 17.31 प्रतिशत निम्न	मे0 प्रेम नरायन गुप्ता	पढ़ा गया
491	जोन-4 वार्ड 4 के अन्तर्गत सीसामऊ नाला के कवर्ड भाग की सफाई का कार्य।	नगर निगम निधि	10,76,822.00	8,37,552.00	आगणन दर से 22.22 प्रतिशत निम्न	मे0 सौरभ तिवारी	पढ़ा गया
492	जोन -4 वार्ड 94 एवं 110 के अन्तर्गत मकान नं0 100 / 1 से 100 / 82 लूला बिरियानी तक सडक पर इंटरलाकिंग टाइल्स लागाने व नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,45,411.00	5,67,962.00	आगणन दर से 12.00 प्रतिशत निम्न	मे0 अनन्या कान्स0एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गया
493	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत अशोक नगर स्थित मकान नं0 111 / 322 से 111 / 420 तक फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	9,20,209.00	7,63,866.00	आगणन दर से 16.99 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डिया ट्रेडर्स	पढ़ा गया
494	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत अशोक नगर स्थित मकान नं0 111ए / 208 से 111ए / 175 तक फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली	नगर निगम निधि	6,95,295.00	5,77,164.00	आगणन दर से 16.99 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डिया ट्रेडर्स	पढ़ा गया

	सुधार कार्य।						
495	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत अशोक नगर स्थित मकान नं० 111ए/30 से अशोक नगर गोल चौराहा तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,01,882.00	6,65,642.00	आगणन दर से 16.99 प्रतिशत निम्न	मे० इण्डिया ट्रेडर्स	पढ़ा गया
496	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत 111ए/336ए से 111ए/244 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,04,683.00	7,96,636.00	आगणन दर से 1.00 प्रतिशत निम्न	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्राप्लि०	पढ़ा गया
497	जोन-4 वार्ड 110 के अन्तर्गत मकान नं० 101/112 से डॉ० बेरी चौराहा 101/1 जान साहब हाता एवं 101/358 हाजी सलामुद्दीन व मजार वाली गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगान एवं जल निकासी का कार्य।	नगर निगम निधि	7,77,678.00	7,77,678.00	आगणन दर पर	मे० एस०ए० बिल्डर्स	पढ़ा गया
498	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत रावतपुर रोड से गीता मिश्रा के मकान तक हेमन्त बिहार में गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	6,83,370.00	5,72,869.00	आगणन दर से 16.17 प्रतिशत निम्न	मे० संजय शर्मा	पढ़ा गया
499	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत मलिन बस्ती घोबीघाट नहरिया (रानी सती मन्दिर के पीछे) गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	7,30,580.00	6,19,824.00	आगणन दर से 15.16 प्रतिशत निम्न	मे० संजय शर्मा	पढ़ा गया
500	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत 111ए/5 (होटल ब्लिस) से 111ए/208ए तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,79,264.00	8,70,472.00	आगणन दर से 1.00 प्रतिशत निम्न	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्राप्लि०	पढ़ा गया
501	जोन-4 वार्ड 22 के अन्तर्गत प्रभु वन्दना अपार्टमेन्ट से बेनाझाबर चौराहे तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	5,10,657.00	5,05,550.00	आगणन दर से 1.00 प्रतिशत निम्न	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्राप्लि०	पढ़ा गया
502	जोन-4 वार्ड 94 के अन्तर्गत मकान नं०	नगर निगम	8,25,450.00	7,84,178.00	आगणन दर से	मे० सिंह इंजीनियर	पढ़ा गया

	110/440 से 110/537 तक जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य	निधि			5.00 प्रतिशत निम्न		
503	जोन-4 वार्ड 4 के अन्तर्गत 12/480 महर्षि बाल्मीकी नगर ग्वालटोली में कम्पूनिटी हाल की मरम्मत का कार्य	नगर निगम निधि	7,41,398.00	6,66,780.00	आगणन दर से 10.13 प्रतिशत निम्न	मे0 इशरत जमाल सिद्दीकी	पढ़ा गया
504	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत मकबरा गेट से ठाकुर आटा चक्की तक इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा पटरी का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	7,92,698.00	7,12,636.00	आगणन दर से 10.10 प्रतिशत निम्न	मे0 इकबाल अहमद	पढ़ा गया
505	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत चपरासी एरिया मकान नं0 104/457 से 104/18, 104/457 से 104/63ए, 104/449 से 104/455, 104/318, 104/40 से 104/42 तक नाली मरम्मत एवं गलियों का इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य	नगर निगम निधि	9,45,158.00	8,41,191.00	आगणन दर से 11.00 प्रतिशत निम्न	मे0 श्री बालाजी इंजीनियरिंग वर्कर्स	पढ़ा गया

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

प्र0स0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
506	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं0 105/698 से मकान नं0 105/590 होते हुये 105/723 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	18,57,285.00	16,85,486.00	आगणन दर से 9.25 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	स्वीकृत
507	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत थाना कोहना से रानीघाट ढाल तक सड़क पटरी पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	13,53,320.00	11,89,162.00	आगणन दर से 12.13 प्रतिशत निम्न	मे0 इशरत जमाल सिद्दीकी	स्वीकृत
508	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत मकान नं0 109/114ए से 109/258 तक सड़क, सड़क पटरी एवं नाली का सुधार कार्य	नगर निगम निधि	13,88,714.00	13,67,884.00	आगणन दर से 1.50 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	स्वीकृत
509	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं0 111ए/400 से 111ए/336 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	11,90,454.00	11,78,550.00	आगणन दर से 1.00 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	स्वीकृत
510	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत मकान नं0	नगर निगम	13,85,209.00	13,71,357.00	आगणन दर से 1.	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स	स्वीकृत

	109 / 260 से जी0टी0 रोड तक सड़क, सड़क पटरी एवं नाली का सुधार कार्य	निधि			00 प्रतिशत निम्न	प्राठलि0	
511	जॉन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत मकान नं0 109 / 1 से 109 / 102 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लागने एवं नाली निर्माण कार्य	नगर निगम निधि	12,74,274.00	10,40,955.00	आगणन दर से 18.31 प्रतिशत निम्न	मे0 प्रेम नरायन गुप्ता	स्वीकृत

मार्ग प्रकाश

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम	निर्णय
512	माठ मुख्य मंत्री जी के शहर आगमन, बारावफात एवं गणतन्त्र दिवस इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर मे लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 690 नग सोडियम चोक 250 वाट वाट कय हेतु।	2305002	608,580.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
513	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर मे लगे बन्द फलड लाइट फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 450 नग फलड लाइट चोक 400 वाट कय हेतु।	2305002	607,500.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
514	नवरात्रि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर मे लगे बन्द स्विचों के अनुरक्षण कार्य हेतु 900 नग टी0पी0स्विच 32 एम्पी0 कय हेतु।	2305002	904,950.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
515	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर मे लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 6531 नग इंग्नीटर 250 वाट कय हेतु।	2305002	542,073.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
516	होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों एवं चुनाव पर शहर मे लगे बन्द स्विचों के अनुरक्षण कार्य हेतु 250 नग टी0पी0स्विच 63 एम्पी0 कय हेतु।	2305002	718,875.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
517	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर मे लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1133 नग सोडियम चोक 250 वाट कय हेतु।	2305002	999,306.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया

518	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सी0एफ0एल0 फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1666 नग सी0एफ0एल 85 वाट क्य हेतु।	2305002	999,600.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
519	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 2308 नग सोडियम लैम्प 250 वाट क्य हेतु।	2305002	673,566.72	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
520	नवरात्रि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों एवं चुनाव पर शहर में लगे बन्द स्थिचो के अनुरक्षण कार्य हेतु 350 नग डी0पी0स्थिच 63 एम्पी0 क्य हेतु।	2305002	875,000.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
521	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सी0एफ0एल0 फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1660 नग सी0एफ0एल 85 वाट क्य हेतु।	2305002	996,00.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
522	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द फ्लड लाइट फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 740 नग फ्लड लाइट चोक 400 वाट क्य हेतु।	2305002	999,000.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
523	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 762 नग सोडियम चोक 250 वाट क्य हेतु।	2305002	672,084.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
524	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1133 नग सोडियम चोक 250 वाट क्य हेतु।	2305002	999,306.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
525	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1133 नग सोडियम चोक 250 वाट क्य हेतु।	2305002	999,306.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया

526	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द ट्यूब फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 5722 नग कॉपर चोक 40 वाट क्य हेतु।	2305002	720,972.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
527	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द फ्लड लाइट फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 740 नग फ्लड लाइट चोक 400 वाट क्य हेतु।	2305002	999,000.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
528	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सोडियम फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1133 नग सोडियम चोक 250 वाट क्य हेतु।	2305002	999,306.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
529	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द फ्लड लाइट फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 533 नग फ्लड लाइट चोक 400 वाट क्य हेतु।	2305002	719,550.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
530	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर शहर में लगे बन्द सी०एफ०एल० फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1466 नग सी०एफ०एल 85 वाट क्य हेतु।	2305002	879,600.00	मे0 रिवान्शु सेल्स	पढ़ा गया
531	नवरात्रि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों एवं चुनाव पर शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 582 क्वॉयल 1.5 स्क्वॉयर एम.एम. मल्टीस्ट्रैण्ड कॉपर वायर क्य हेतु।	2305002	580,836.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
532	नवरात्रि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों एवं चुनाव पर शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 776 क्वॉयल 4 एम.एम. ट्रिवन एल्यूमिनियम वायर क्य हेतु।	2305002	543,200.00	मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया
533	नगर निगम बालिका इंटर कालेज हीरामनपुरवा में वायरिंग का कार्य।	4103301	668,886.16	मे0 वी०डी० इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया

प्रस्ताव संख्या—534

कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव

महानगर में नगर निगम द्वारा संचालित क्रमशः चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज, एवं डा० बी०एन०भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा का चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है, इन चिकित्सालयों में आस-पास के बड़े क्षेत्र के नागरिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते रहे हैं समय-समय पर चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने और शासनादेश सं० 5282/नौ-४-९४-२१जनरल/९१ दिनांक १७जनवरी, १९९५के द्वारा चिकित्सीय सेवा संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप चिकित्सकों की नियुक्ति न हो पाने के कारण शनैः-शनैः चिकित्सकों की कमी होती गई, वर्तमान समय में चिकित्सकों की उपलब्धता न के बराबर होने के कारण उपरोक्त वर्णित चिकित्सालयों का सुचारू संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रस्ताव है कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज, एवं डा० बी०एन०भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा को पूर्ण रूपेण संचालित कर क्षेत्रीय एवं आस-पास की जनता को लाभान्वित किये लिए इन दोनों चिकित्सालयों को चलाये जाने के लिए सामाजिक संस्थाओं/एन०जी०ओ० या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये और नगर निगम की शर्तों को पूरा करने वाली सामाजिक संस्थाओं/एन०जी०ओ० या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को संचालन के लिए विधिक/समुचित अनुबन्ध कर सौंप दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... पूर्व में भी संदर्भित पर निर्णय लिये जा चुके हैं, तदनुक्रम में स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—535

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

निवेदन है कि वार्ड-०९ विष्णुपुरी, आजाद नगर के अन्तर्गत लल्लनपुरवा मलिन बस्ती में कई वर्षों पूर्व झूड़ा द्वारा बारातशाला का निर्माण कराया गया था, जो कि वर्तमान समय में अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसमें अराजक तत्वों द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा

भी किया जा रहा है तथा क्षेत्र की गरीब जनता के लिये मांगलिक कार्यक्रम सम्पन्न करने हेतु कोई भी उचित स्थान नहीं है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि क्षेत्र की गरीब जनता के हित में उक्त बारातशाला का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—536

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

निवेदन है कि कानपुर महानगर में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके शव को यदि एक-दो दिन रखा जाना हो तो उसके परिवारिक जनों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा शहर में इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मेरा प्रस्ताव है कि कानपुर नगर निगम द्वारा 06 डी-फ्रीजर शवों को सुरक्षित रखने के लिये (प्रत्येक जोन में एक) क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने भी सहमति जताते हुये कहा कि किसी की मृत्यु के पश्चात् उसके रिश्तेदार-नातेदार का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बर्फ में भी शव रखा जाना उतना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बर्फ शीघ्र पिघलती रहती है। वर्तमान में कुछ धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा इसप्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—537

उत्तर प्रदेश शासन/नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृती दिनांक 23.05.2014 के अनुपालन में नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ।

माननीय मुख्यमन्त्री कार्यालय सन्दर्भ संख्या पी०जी० 10287501 के क्रम में जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर में स्थिति रतनलाल शर्मा स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं विस्तार हेतु स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आगणन धनांक 53.46 लाख का तैयार किया गया था।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136 के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी समिति एवं मा० सदन की निर्धारित वित्तीय सीमा रूपये 30.00 लाख से अधिक की धनराशि के व्ययानुमान का स्वीकृत करने का अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन में निहित होने के दृष्टिगत इसे नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/497/न०आ०/सी०ई०/13-14 दिनांक 12.02.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृत हेतु अग्रसारित किया गया। नगर विकास अनुभाग 07, उत्तर प्रदेश शासन के अनुसंचित के पत्रांक 13 वी०आई०पी०/नौ-7-14-9 (के/2014) दिनांक 13 मार्च, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136(2) के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त हो गयी है तथा नियमानुसार मा० कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

तदनुसार माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—538

नगर आयुक्त के पत्रांक 52/जेडओ-5दिनांक.22.05.14 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 119 के अन्तर्गत:-

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा- 221 (2) के अनुसार “ (निगम) राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।” इस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति के प्रकार को कर अदायगी से मुक्त किये जाने का अधिकार नगर निगम अर्थात् माननीय सदन में निहित है, इस व्यवस्था के अधीन कर अदायगी से मुक्त किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय सदन में बार बार प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इसलिए धारा 221(2) के अन्तर्गत दिये गये अधिकार को किसी अधिकारी को प्रतिनिधानित किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि शहीद जवानों की विधवाओं के गृहकर में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में भी मेरे द्वारा विचार करने के लिये कहा जा चुका है।

..... प्रस्ताव में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में नियमित सुनवाई एवं तदानुसार कार्यवाही हेतु अपर नगर आयुक्त “प्रशासन” को नामित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-539

नगर आयुक्त के पत्रांक डी/04/सीएओ 24.05.14 के द्वारा मा० कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित।

शासनादेश सं०-3005/नौ-९-२०१३-८५ज/०५ टी०सी० नगर विकास अनुभाग-९ लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2013

शासनादेश सं०-3005/नौ-९-२०१३-८५ज/०५ टी०सी० नगर विकास अनुभाग-९ लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा अनुपालनार्थ प्रख्यापित उ०प्र० नगर निगम (सम्पत्तिकर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 का हिन्दी संस्करण मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं मा० सदन के सूचनार्थ अग्रसारित करने हेतु प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-९

संख्या: 1463/९-९-२०१०-८५ज/२००५ टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-२ सन् 1559) की धारा 174, 207-क, 207-ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, और 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जारी

सरकारी अधिसूचना संख्या 1231/9-9-2010-85ज/2009 टी.सी. दिनांक 08 जून, 2010 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के विचारोंपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन)नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

नियम-2 का संशोधन

नियम-3 का संशोधन

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(2) उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्—

(घ-1) “अनावासिक भवन” का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भवन या उसके भाग से है जो अनावासिक हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 174 की उन्धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आच्छादित हो।

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

भवन या भूखण्ड का कारपेट एविया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण—

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम किसी भवन या भूखण्ड का कारपेट एविया और अन्य क्षेत्र का विवरण—

3-(1) नगर आयुक्त समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र “ख” में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एविया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर

3-(1) नगर आयुक्त समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र “ख” और प्रपत्र “घ” में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एविया और अन्य क्षेत्र और अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक

निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना मे नियत दिनांक तक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

- (2) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
- (3) जब किसी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरित हो, जो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।
- (4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फल स्वरूप, आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

नियम-4 का संसोधन

स्तम्भ-1

विद्यामान नियम

4-सम्पत्ति का वर्गीकरण:-

- (1) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1), खण्ड (क) के उपबंधों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की

(2) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" नें विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब किसी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरित हो, जो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फल स्वरूप, आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-सम्पत्ति का वर्गीकरण:-

- (1) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 के उपबंधों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन

अवस्थिति का वार्डगार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् विभिन्न प्रकार के मार्गों पर स्थिति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर जायेगा, अर्थात्— सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्—

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग,
 (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग,
 (2) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1)खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा।

(क) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित,
 (ख) कोई अन्य पक्का, या
 (ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूहों के अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा।

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे—
 (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।

विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्—

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग,
 (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग,
 (2) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा।

(क) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित,
 (ख) कोई अन्य पक्का, या
 (ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूहों के अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा।

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे—
 (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।

- (चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर अन्य पवका भवन।
- (छ:) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (ख) भूमि के मामलें में निम्नलिखित तीन समूह होंगे—
- (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- नियम-4-क 5— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—
- स्तम्भ-1
- विद्यामान नियम
- 4(क) न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण—
- (1) नगर आयुक्त वार्ड के भीतर दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की तैयार करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा—
- स्तम्भ-2
- एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
- 4(क) न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण—
- (1) नगर आयुक्त वार्ड के भीतर दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू आवासिक भवन के रूप में दर नियत करेगा—
- (चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर अन्य पवका भवन।
- (छ:) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (ख) भूमि के मामलें में निम्नलिखित तीन समूह होंगे—
- (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

करेगा:-

- (एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और
 (दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह बिन्न-बिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तिया रहेगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी आपत्तियों की कुल संख्या कम से कम 10 प्रतिशत व्यक्तियों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तियों को या आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध है व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डल वार विनिश्चय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-(1) कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कारपेट एरिया की दरें आच्छादित एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

- (एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और
 (दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह बिन्न-बिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तिया रहेगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी आपत्तियों की कुल संख्या कम से कम 10 प्रतिशत व्यक्तियों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तियों को या आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध है व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डल वार विनिश्चय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-(1) कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कारपेट एरिया की दरें आच्छादित एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।
 (2) अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है।

नियम 4-ग का संसोधन

स्तम्भ-1

विद्यामान नियम

4-ग- कर निर्धारण-कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा—

(1) वार्षिक मुल्य की गणना वार्षिक मुल्य = कारपेट एरिया x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 या

आच्छादित क्षेत्रफल x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 x 80 प्रतिशत

(2) देय कर—अधीनियम की धारा 148 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक मूल्यके आधार पर कर देय होगे।

(3) छूट—अधीनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार मूल्यांकन तथा देय कर में छूट अनुमन्य होगी ।

(4) स्वनिर्धारण —आवासिक भवन के विषय में सम्पत्तिकर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के प्रपत्र 'क' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3(1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र 'क' और चालान के साथ कर जमा करेगा ।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध— उननियम (4) के अधीन नियत

6— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया नियम 4 ग के स्थान पर स्तम्भ 2मे दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः—

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-ग- कर निर्धारण-कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा—

(1) क (एक) आवासीक भवन के वार्षिक मुल्य की गणना—कारपेट एरिया x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 या

आच्छादित क्षेत्रफल x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 x 80 प्रतिशत

(ख) (एक) आवासीक भवनों के वार्षिक मुल्य की गणना—

आच्छादित क्षेत्रफल x आवासीयक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर x 12

(दो) अनावासीक भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना—

भूमि का क्षेत्रफल x आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

(2) संदेय कर— अधीनियम की धारा 148 के अधीन नियत दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर संदेय होगे ।

(3) छूट— आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट अनुमन्य होगी और अधीनियम विहित उपबन्धों के अनुसार कर संदेय होगे ।

(4) स्वनिर्धारण— भवन के विषय में सम्पत्ति के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार एक निर्धारित करते हुए और नियम तीन में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के यथास्थिति प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3 के उननियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक यथास्थिति प्रपत्र 'क' या 'ग' और चालान के साथ जमा करेगा ।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध— उननियम (4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण

दिनांक तक स्वनिर्धारण सम्पत्ति करो के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जायें, से अधिक नहीं होगी।

सम्पत्ति करो के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जायें, से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रोत्साहन— अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में छूट प्रदान करते हुए निम्नलिखित रीति से प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) दिया जा सकेगा।

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संरिथ्त हो और प्रचलन में हों या कम से कम क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत भाग वुक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित हों या समुचित या पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो परन्तु—प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हो, वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रत्येक को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह कि उपर्युक्त छूट इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि इस भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय उपलब्ध न कराये गये हों।

7— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्—

स्तम्भ—2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी।

(क) भवन और भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर,

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथास्थिति 'क', 'ख' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर—

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—

(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान

(1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी।

(क) भवन और भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग' या 'घ' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर,

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथास्थिति 'क', 'ख', 'ग' या 'घ' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर—

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—

(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो सम्पत्ति का

के लिए पर्याप्त हो सम्पत्ति का अभियान,

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए की यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तों किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्गफूट किराये की न्यूनतम मासिक दर,

(पाँच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छ:) भवन निर्माण का वर्ष

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

अभियान,

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए की यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तों किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्गफूट किराये की न्यूनतम मासिक दर,

(पाँच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छ:) भवन निर्माण का वर्ष,

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

(2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची – ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय, में प्रपत्र 'क' पर और अनावासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'ग' पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो उननियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम 5-क के प्राविधान ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर कों पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओं नोटिस के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर कों पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओं नोटिस के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

नियम-7 स्वकर निर्धारण

विद्यामान नियम

7- स्वकर निर्धारण – किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है

(2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची – ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय, में प्रपत्र 'क' पर और अनावासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'ग' पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो उननियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम 5-क के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर कों पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओं नोटिस के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

7- स्वकर निर्धारण – किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रका निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ

और उसके द्वारा इस प्रका निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।
विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

प्रपत्र—ग और 'घ' का बढ़ाया जाना

(नियम 7 देखिये)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

1. स्वामी/अध्यासी का विवरण—
 क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
 (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता
 (चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता
 (पाँच) अन्य विवरण, यदि कोई हो

2. भवन या भूमि सम्बन्धी व्यौरा
 (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)
 (दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)
 (तीन) अनावासीय भवन/प्रतिष्ठान/कार्यालय/संरक्षणका प्रचलित नाम.....

3. अवस्थिति का विवरण

- (क) भवन या भूमि अवस्थित है—
 (i) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति —
 (i) पक्का भवन आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित
 (ii) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस/फाइबर या टीनशेड
 (iii) कच्च भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन, जो (1) और (2)
में आच्छादित नहीं है।

टिप्पणी:- कृपया प्रयोज्य खाने में सही (✓) का निशान लगाये।

4. भवन के निर्माण का वर्ष
 5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6. वार्षिक मूल्य की गणना:-

- क भवन वार्षिक मूल्य:
- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर.....प्रति वर्गफुट
 - (दो) अनावासीय सम्पत्ति के स्वरूपके आधार पर नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणकगुना
 - (तीन) अनावासीय भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर ((एक) X (दो))..... प्रति वर्गफुट
 - (चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (सभी तलों सहित)..... वर्गफुट
 - (पाँच) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12
अर्थात् ((तीन)X (चार)X12)

- अथवा भवन का वार्षिक मूल्य = (एक)X(दो) X (चार)X12

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य

- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराया का मासिक दर..... प्रति वर्गफुट
- (दो) भूमि के उपयोगके आधार पर नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के संबंध
में गुणक..... वर्गफुट
- (तीन) भूमि ((एक) X (दो)) के लिए प्राप्त किराये का मासिक दर..... प्रति वर्गफुट
- (चार) भूमि का आच्छादित क्षेत्रफल..... वर्गफुट
- (पाँच) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12अर्थात् (तीन)X (चार)X12)

(ग) कुल वार्षिक मूल्य=भवन का वार्षिक मूल्य +भूमि का वार्षिक मूल्य अर्थात् क (पाँच)+ ख (पाँच)

7. कर की गणना

- (एक) सामान्य कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X सामान्य कर की दर
900
- (दो) सामान्य कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X जल कर की दर
900
- (तीन) मल नाली कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X मल नाली कर की दर
900
- (चार) अन्य कर (कर का नाम) - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X कर की दर
900

8. जमा किये गये कर का विवरण-

क्र.स.	कर का नाम	धनराशि	दिनांक	रसीद संख्या	कार्यालय/जोन का नाम
1	सामान्य कर				

- भवन स्वामी /अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किये जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या.....

सत्यापन

मैंवार्डके मुहल्ल.....में स्थित भवन सं0.....का स्वामी /अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि
इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है । उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया
गया है और न ही भिथ्या उल्लिखित किया गया है ।

हस्ताक्षर.....
नाम.....

प्रपत्र-घ (नियम 3 देखिये)**अनावासिक भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र**

- क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
 (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता
 (चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता
 (पाँच) अन्य विवरण,यदि कोई हो

2. भवन या भूमि का विवरण

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल(वर्ग फिट में)
 (दो) खुली भूमि या भूखण्ड काक्षेत्रफल(वर्ग फिट में)
 (तीन) अनावासीय भवन/प्रतिष्ठान/कार्यालय/संस्थानका प्रचलित नाम.....

3. (क) भवनया भूमि अवस्थित है—

- (i) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
 ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति –
 (i) पक्का भवन आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित
 (ii) अन्य पक्का भवन,अस्येस्टोज,फाइबर या टीनशेड
 (iii) कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन, जो (1) और (2)
में आच्छादित नहीं हैं ।

टिप्पणी:- कृपया प्रयोज्य खाने में सही (✓) का निशान लगाये।

4. भवन के निर्माण का वर्ष
 5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....
 • भवन स्वामी /अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किये जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या.....

सत्यापन

मैंवार्ड..... के मुहल्ल..... में स्थित भवन सं0..... का स्वामी /अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
आज्ञा से
(सी0बी0पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कौचिंग और प्रशिक्षण संस्थान। (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का दो गुना
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
6	माल्ट्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह वलब और इसी प्रकार के भवन।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
8	ऑद्योगिक इकाईयाँ, सरकारी, अद्वासरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
9	टावर और होटिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का चार गुना
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

नगर आयुक्त ने कहा कि उ0प्र0 शासन द्वारा नर्सिंग होम से लाईसेंस शुल्क वसूल किये जाने हेतु निर्णय पारित किया जा चुका है और अन्य सम्पत्तियों से कर वसूलने हेतु एक नियमावली तैयार की गई है, जो कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या—540

वार्ड संख्या 51 जवाहर नगर कमला नेहरू पार्क बरातशाला का नगर निगम अभियन्त्रण विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है जिसमें विवाह व अन्य कार्यकर्मों के आयोजन हेतु जनहित में जनसामान्य को किराये पर आवंटन की कार्यवाही की जानी है। अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत पैमाइश सहित विवरण दृঃयी ओर प्रस्तुत है। जिलाधिकारी सर्किल दरें 2013 के आधार पर प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तावित है।

कमला नेहरू पार्क

$$1. \text{ कुल निर्मित भाग का क्षेत्रफल } 173.55 \text{ प्रति वर्ग मी0} \times \text{रु0 } 350(\text{किराये की दर प्रति वर्ग मी0}) = \text{रु0 } 60742.5 = \times 12 \text{ माह} = \text{रु0 } 728922.00$$

$$2. \text{ खुले भाग का क्षेत्रफल } 406.81 \times 350 \times 50 / 100 = 71191.75 \times 12 = \text{रु0 } 854301.00$$

$$\text{कुल योग } (1+2) = 1583223 / 365 = \text{रु0 } 4377.60 \text{ प्रतिदिन का किराया}$$

किराया सम्बन्धी अन्य शर्तें निम्नवत् हैं।

- जमानत धनराशि रु0 2000.00 नगद नगर निगम कानपुर के नाम देय होग जो कि टूट-फुट न होने की दशा में सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- बिजली का खर्च रु0 2000.00 देय होगा।
- साफ-सफाई का खर्च रु0 500.00 देय होगा।
- किसी भी प्रकार का धूप्रपान व मंदिरा का प्रयोग निषेध रहेगा।

- उपरोक्त बरातशाला की बुकिंग इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था अन्य सम्पत्तियों की भौति सम्पत्ति विभाग, नगर निगम द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त बरातशाला का किराया निर्धारण मा0 कार्यकारिणी/सदन द्वारा स्वीकृति किया जाना है। बरातशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा बरातशाला के बुकिंग के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे हैं। अतः स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर जी के अनुमोदनार्थ आख्या सादर प्रेषित।

..... प्रश्नगत बारातशाला का किराया सर्वप्रथम रु0 5100/- निर्धारित किया जाता है जो समयान्तर्गत पुनः संशोधित भी किया जाय, इसी के साथ प्रस्ताव सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—541

प्रस्ताव

वार्ड 65 बरातशाला प्रेम नगर स्कूल गॉधी नगर, नगर निगम अभियन्त्रण विभाग द्वारा जीर्णद्वार कराया गया है जिसमें विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनहित में जनसामान्य को किराये पर आवंटन की कार्यवाही की जानी है। अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत पैमाइश सहित विवरण दॉयी ओर प्रस्तुत है। जिलाधिकारी सर्किल दरें 2013 के आधार पर प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तावित है।

प्रेम नगर स्कूल गॉधी नगर

कुल निर्मित भाग का क्षेत्रफल 975.95 वर्ग मी0 \times 350 = 341582.50 \times 12 = 4098990 / 365 = 11230 प्रतिदिन

किराया सम्बन्धी अन्य शर्तें निम्नवत् हैं।

- जमानत धनराशि रु0 2000.00 नगद नगर निगम कानपुर के नाम देय होग जो कि टूट-फूट न होने की दशा में सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- बिजली का खर्च रु0 2000.00 देय होगा।
- साफ—सफाई का खर्च रु0 500.00 देय होगा।
- किसी भी प्रकार का धूम्रपान व मदिरा का प्रयोग निषेध रहेगा।

- उपरोक्त बरातशाला की बुकिंग इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था अन्य सम्पत्तियों की भौति सम्पत्ति विभाग, नगर निगम द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त बरातशाला का किराया निर्धारण मा0 कार्यकारिणी/सदन द्वारा स्वीकृति किया जाना है। बरातशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा बरातशाला के बुकिंग के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे हैं। अतः स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर जी के अनुमोदनार्थ आख्या सादर प्रेषित।

..... प्रश्नगत बारातशाला का किराया सर्वप्रथम रु0 11000/- निर्धारित किया जाता है जो समयान्तर्गत पुनः संशोधित भी किया जाय, इसी के साथ प्रस्ताव सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—542

नगर आयुक्त के पत्र संख्या—डी/81/अ0अ0-6 दिनांक 27.05.2014 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन-6 वार्ड-61 लाजपत नगर के आन्तरिक शिवा जी नगर की आन्तरिक गलियों में साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक रुपया 2629600.00 का बनाया गया है जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक रु0 2629600.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।
..... निरस्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या—543

नगर आयुक्त के पत्र संख्या—डी/82/अ0अ0-6 दिनांक 27.05.2014 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन-6 वार्ड-61 लाजपत नगर के अन्तर्गत शिवाजी नगर में म0न0-120/564 से म0न0-120/526 व 120/513 व म0न0-120/508 तक आन्तरिक सड़कों का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक रुपया 2289815.00 का बनाया गया है जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक रु0 2289815.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।
..... वित्तीय संतुलन एवं क्षेत्रीय समानता के दृष्टिगत पूर्व पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या—544

रु0.....महापौर

नगर आयुक्त के पत्र संख्या—डी/ 83/अ0अ0—6 दिनांक 27.05.2014 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन-6 वार्ड-61 लाजपत नगर के अन्तर्गत लाजपत नगर में म0न0—120/382 से जे0के0 मन्दिर नहरिया रोड तथा अपार्टमेन्ट के पास छूटी सड़क में नाली सड़क पटरी तथा सड़क सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक रुपया 2820768.00 का बनाया गया है जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक रु0 2820768.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।
..... वित्तीय संतुलन एवं क्षेत्रीय समानता के दृष्टिगत पूर्व पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या—545

नगर आयुक्त के पत्र संख्या—डी/ 85 /अ0अ0—6 दिनांक 28.05.14 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

विषय:- जोन-6 वार्ड-9 विष्णुपुरी के अन्तर्गत विजय स्मृति गेस्ट हाउस से चिड़ियाघर चौराहे तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।
परिवर्तित स्थल

विषय:- जोन-6 वार्ड-9 विष्णुपुरी अन्तर्गत कस्तूरबा चौराहा से डा0 एस0एस0 सिंघल एवं डा0 एस0एस0 भारद्वाज के निवास होते हुये म0न0— 111(ए) तक सड़क नाली, एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।

मा0 पार्षद श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) के पत्र पर मण्डलायुक्त महोदय एवं मा0 महापौर जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयक कार्य के स्थान पर परिवर्तित स्थल जोन-6 वार्ड-9 विष्णुपुरी अन्तर्गत कस्तूरबा चौराहा से डा0 एस0एस0 सिंघल एवं डा0 एस0एस0 भारद्वाज के निवास होते हुये म0न0— 111(ए) तक सड़क, नाली, एवं फुटपाथ का सुधार कार्य को बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

आदेशानुपालन में परिवर्तित स्थल कार्य की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से आगणन रु0 3994308.00 नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

सभापति ने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम के 93 कार्यों के प्रेषित व्यायानुमानों को इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गई है कि कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। उत्तिलिखित 93 कार्यों में से क्रमांक-82 का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उसी अवशेष धनराशि से वर्णित स्थल में कार्य कराये जाने हेतु आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर ने भी पत्र पृष्ठांकित किया है। अतएव स्वीकृत प्रदान की जा सकती है।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—546

श्रीमती परमजीत कौर पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

सादर आग्रह है कि हमारे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक नं0 एक शास्त्री नगर वार्ड 82 के सामने एक बरातशाला लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाई गई जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिसका निर्माण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वार्ड 82 शास्त्री नगर क्षेत्र में बरातशाला निर्मितकराये जाने के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लेने की कृपा करने का कष्ट करें।

..... नगर आयुक्त यथा आवश्यक कार्यवाही करायें।

प्रस्ताव संख्या—547

श्रीमती परमजीत कौर पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

सादर आग्रह है कि हमारे वार्ड संख्या 82 हरिहर नाथ शास्त्री नगर में ब्लाक नं० 78 के सामने पार्क की वाउन्ड्री वाल टूट गई है जिसके कारण पार्क का स्वरूप विलुप्त हो गया है। जनहित में पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः आप उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण किये जाने के मेरे प्रस्ताव पर कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लेने की कृपा करें।

..... नगर आयुक्त यथा आवश्यक कार्यवाही करायें।

प्रस्ताव संख्या—548

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

कार्यकारिणी प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम के द्वारा नगर निगम की सम्पत्ति की देखभाल हेतु महानगर की विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को नगर निगम शर्तों के अधीन अनुबन्ध पर दिया जाता है, जिस पर समाज सेवी संस्थाओं द्वारा अपने पदाधिकारियों का नाम लिखवाया जाता है, जबकि वह नगर निगम की सम्पत्ति है, जिस पर उनका नाम लिखा जाना अनुचित एवं गलत है।

मेरा प्रस्ताव है कि नगर निगम की ऐसी सम्पत्तियाँ जिनमें समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपने नाम अंकित करवा रखे हैं, उनको हटवाया जाये तथा यदि संस्था अपना बोर्ड लगाना चाहती है तो वह किसी सुविधाजनक स्थान पर अपना अस्थाई पट लगवा सकती है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... विधिक राय प्राप्त कर नगर आयुक्त यथा आवश्यक कार्यवाही करायें।

प्रस्ताव संख्या—549

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), उपसभापति / पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं दो मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

कार्यकारिणी प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम में ई-टेंडरिंग लागू की गई है, जिसके कारण नगर निगम के द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। जिसके कारण विकास कार्यों के अभाव में कानपुर महानगर की जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

मेरा प्रस्ताव है कि नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले ₹० 8.00 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों को ई-टेंडरिंग के माध्यम से तथा ₹० 1.00 लाख तक की धनराशि के कार्य नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे आवश्यक एवं तत्कालीन कराये जाने वाले कार्यों को सुचारू रूप से कराया जा सके।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... प्रस्ताव संख्या-281 में निर्णय लिया जा चुका है।

प्रस्ताव संख्या-550

नगर आयुक्त के पत्र संख्या-131/2014-15/क दिनांक 29.05.14 मा०कार्यकारिणी समिति के स्वीकृतार्थ प्रेषित।

कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री रमाकान्त मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ सफाई व्यवस्था में लगे सफाई नायकों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिये बैग एवं छाता की व्यवस्था कराये जाने की मांग की गयी है।

व्यवस्था क्रम में प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

..... नगर आयुक्त यथा आवश्यक कार्यवाही करायें।

टेबुल प्रस्ताव

सभापति ने कहा कि जैसा मेरे द्वारा पूर्व में व्यवस्था निर्धारित की गई है कि मार्ग के नामकरण में व्यक्ति का सामाजिक, राजनैतिक योगदान को ध्यान में रखते हुये ही प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये, तदनुक्रम डॉ० ईश्वरचन्द्र गुप्त, क्षेत्र संघचालक, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित यह प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या-551

विषय :- सड़क के नामकरण के सम्बन्ध में।

स्व. कृष्ण सहाय मिश्र पुत्र स्व. मंगली प्रसाद मिश्र निवासी 2/18, नवाबगंज, कानपुर, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई आन्दोलनों में अपना योगदान किया तथा अपने जीवन को समाज की सेवा हेतु लगा दिया। स्व. मिश्र ने गौ हत्या आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा करते हुये जेल यात्रा की तथा आपातकाल के दौरान एवं रामजन्म भूमि आन्दोलन में भी जेल यात्रा की। इन्होंने संघ में मुख्य शिक्षक व कार्यवाह का दायित्व भी पूरी निष्ठा से निभाया, ये भा.ज.पा. की मण्डल कार्यसमिति में सदस्य भी रहे। अतः इनके सामाजिक योगदान से प्रेरित हो क्षेत्रीय लोगों की इच्छा है कि इनके काम और नाम को सजीव बनाने हेतु नवाबगंज क्षेत्र में किसी सड़क का नामकरण इनके नाम से होना चाहिए। अतः मेरा निवेदन है कि सम्भव हो तो सड़क का नामकरण करने की कृपा करें ताकि उनके योगदान को समाज स्मरण रख सकें।

धन्यवाद् ।

..... स्व० कृष्ण सहाय मिश्र के निवास वाले वाले मार्ग का नामकरण स्व० कृष्ण सहाय मिश्र किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री अभिषेक गुप्ता “मोनू” ने सभापति से अनुरोध किया कि महोदय जन्म—मृत्यु प्रमाण—पत्र बनाये जाने में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों को अलग—अलग समय पर प्रमाण—पत्र दिये जाने हेतु धन की माँग की जाती है तथा उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है । कृपया इस सम्बन्ध में भी कोई नीति निर्धारित करने का कष्ट करें ।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि एक वर्ष के उपरान्त जन्म/मृत्यु प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराये जाने में जिलाधिकारी, कानपुर नगर से डिले कण्डोन परमीशन प्राप्त करनी पड़ती है, इसलिये समय लगता है तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्रमाण—पत्र बनाकर निर्गत किया जाता है । अन्य प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु प्रयास किया जाता है कि यदि सभी वाँछित प्रपत्र हैं तो उसी दिन प्रमाण—पत्र निर्गत कर दिया जाता है ।

सभापति ने कहा कि आज संकल्प लिया जाये कि जन्म—मृत्यु प्रमाण—पत्र में नगर निगम द्वारा निर्धारित धनराशि ही ली जाये ।

श्री मदन ने कहा कि नगर निगम के अधिकतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैंगमैन, बेलदार इत्यादि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली में भी अवरोध उत्पन्न हुआ है । अतः आपसे अनुरोध है कि शासन से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पत्राचार कर नियुक्तियाँ कराने की कृपा करें ।

सभापति ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि बादशाही नाका सब्जीमण्डी के दुकानदारों का प्रतिनिधि मण्डल आकर मुझसे मिला । उस परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था दी जाती है कि पूर्व में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत बादशाही नाका थाना हेतु 2500 वर्ग गज जमीन ही दी जाये, शेष पर दुकानदारों को विस्थापित किया जाये और पूर्व से काबिज दुकानदारों को न हटाया जाये । पार्षदों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री वी.के. गुप्ता, उप नगर आयुक्त को नामित किया जाता है, कानपुर महानगर में सभी पार्षदगण अपने—अपने क्षेत्र में नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि का चिन्हांकन कर इन्हें अवगत करायेंगे ताकि तदानुसार नगर निगम द्वारा अग्रिम कार्यवाही कराई जा सकें ।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक—06.06.2014 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना—अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा ।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक—06.06.2014 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

अन्त में सभापति द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया ।

ह0.....

(जगतवीर सिंह द्वौण)
महापौर / सभापति

ह0.....महापौर